लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 36 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 21—29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Gazettes & Debates U
Parliament Library Buil
Room No. FB-025
Block 'G'

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 23, बुधवार, 16 दिसम्बर, 1964/25 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
527	मंत्रियों का दौरे पर गांवों में ठहरना	2039–42
528	भारतीय भाषाओं की लिपि के रुप में देवनागरी	2042–47
529	सन्थानम समिति का प्रतिवेदन	2047–52
530	दिल्ली में मूल्य प्रतिरोधी आन्दोलन . . .	2053–54
531	केरल सरकार के कर्मचारियों का सदाचार समिति में भाग लेना	2054–55
532	पर्यटकों के लिये होटलों में मदिरा	2055
533	चीन समर्थक गतिविधियां	2056–57
535	मोटी सतह वाली सड़कें	2057–58
536	तेल शोधन क्षमता	2058–59

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
537	दिल्ली के एक घरेलू नौकर को दी गई यातना	2059–60
538	त्रिवेदी पंचाट . .	2060
539	अवैध रूप से आने वाले पाकिस्तानी .	2060
540	सरकारी कर्मचारियों के सहकारी भण्डारों में चीनी	2061
541	त्रिपुरा में शरणार्थियों का भारी संख्या में आना .	2061
542	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिक	2061–62
543	उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी का प्रयोग	2062
545	आर्थिक पुंज .	2062
546	डा० राजेन्द्र प्रसाद का स्मारक .	2663

अतारांकित प्रश्न संख्या		
1425	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में इंजीनियरिंग पाठ्य-क्रम	2063
1426	विद्यार्थियों के लिये ऋण तथा छात्रवृत्तियां	2063
1427	सोडा ऐश का उत्पादन	2063–64
1428	महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारी	2064

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

Volume 23, *Wednesday, December* 16, 1964/*Agrahayana* 25, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

**Starred Question Nos.*	*Subject*	*Pages*
527	Stay of Ministers in Villages while on Tour	2039–42
528	Devanagri as Common Script	2042–47
529	Santhanam Committee Report	2047–52
530	Resistance Movement in Delhi	2053–54
531	Kerala Government Employees joining Sadachar Samiti	2354–55
532	Drinks in Hotels for Tourists	2055
533	Pre-Chinese Activity	2056–57
535	Roads with thicker surface	2057–58
536	Oil Refining Capacity	2058–59

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
537	Torture of a Domestic Servant in Delhi	2059–60
538	Trivedi Award	2060
539	Pakistan Infiltrants	2060
540	Sugar in Co-operative Stores for Govt. Employees	2061
541	Influx of Refugees into Tripura	2061
542	Scientists in C.S.I.R.	2061–62
543	+Use of English in U.P.	2062
545	Economic Pool	2062
546	Memorial to Dr. Rajendra Prasad	2063

Unstarred Question Nos.		
1425	Engineering course in Punjabi University, Patiala	2063
1426	Scholarships and Loans to Students	2063
1427	Production of Soda Ash	2063–64
1428	Police Officers in Maharashtra	2064

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1429	एक प्राचीन नगर का पता लगना	2065
1430	कचार में शरणार्थियों का पुनर्वास	2065
1431	बामियां (अफगानिस्तान) में बुद्ध की प्रतिमायें	2065–66
1432	प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई	2066
1433	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	2066–67
1434	अपंग व्यक्तियों की गणना	2067
1435	सार्वजनिक शिक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	2067
1436	खम्मात क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस	2067–68
1437	पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण लोगों का विस्थापित होना	2068
1438	सदाचार समिति के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत	2068
1439	देवदेखने शिखर पर आरोहण	2069
1440	दिल्ली की रेलवे पुलिस	2069
1441	विज्ञान और गणित की पढ़ाई	2069
1442	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	2069–70
1443	'केअर' कार्यक्रम	2070
1444	हैवी क्रूड को साफ करने का अग्रिम संयंत्र	2070
1445	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	2070–71
1446	प्राथमिक शिक्षा	2071
1447	प्रादेशिक शिल्पिक अध्यापक प्रशिक्षण शालाएं	2071
1448	वाल्काट के बारे में विशेष पदाधिकारी की रिपोर्ट	2072
1449	अहमदाबाद में ब्ल्यू स्काइज (प्राइवेट) लिमिटेड का स्थानिक प्रतिनिधि	2072
1450	मैसूर में हिन्दी लागू करने के लिये वित्तीय सहायता	2072–73
1451	पंजाब में बहुप्रयोजनीय स्कूल	2073
1452	पंजाब में प्राथमिक स्कूलों की इमारतें	2073
1453	उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक	2073–74
1454	राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान	2074
1455	दिल्ली में औषधियों की फर्मों पर छापे	2074
1456	मलयालम भाषा में एक पुस्तिका का वितरण	2074
1457	भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड	2075
1458	गृह-कार्य मंत्रालय के कर्मचारी	2075
1459	दिल्ली नगर निगम का कार्य	2075–76
1460	दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के लिये वेतन आयोग	2076
1461	राज्यपाल	2076
1462	दिल्ली में अश्लील साहित्य	2076
1463	मूल रसायनों का वितरण	2677

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1429	Discovery of an Ancient Town	2065
1430	Rehabilitation of Refugees in Cachar	2065
1431	Images of Buddha in Bamia (Afghanistan)	2065–66
1432	Science Teaching in Primary Schools	2066
1433	Central Board of Secondary Education	2066–67
1434	Census of Handicapped Persons	2067
1435	International Conference on Public Education	2067
1436	Natural Gas From Cambay Fields	2067–68
1437	Dislocation of Persons due to Pak. Firing	2068
1438	Complaint against Sadachar Samiti Members	2068
1439	Expedition to Devdekhane Peak	2069
1440	Railway Police of Delhi	2069
1441	Study of Science and Mathematics	2069
1442	Public Health Engineering	2069–70
1443	CARE Programmes	2070
1444	Pilot Plant for refining heavy crude	2070
1445	O. & N. G. C.	2070–71
1446	Primary Education	2071
1447	Regional Technical Teachers' Training Institute	2071
1448	Special Officer's Report on Walcott	2072
1449	Resident Representative of Blue Skies (P) Ltd. Ahmedabad	2072
1450	Financial Assistance for introduction of Hindi in Mysore	2072–73
1451	Multi purpose Schools in Punjab	2073
1452	Primary School Buildings in Punjab	2073
1453	Northern Zonal Council Meeting	2073–74
1454	National Foundation for Teachers' Welfare	2074
1455	Raids on Pharmaceutical Firms in Delhi	2074
1456	Circulation of Chinese Paper in Malayalam	2074
1457	Board of Control for Cricket in India	2075
1458	Employees of the Ministry of Home Affairs	2075
1459	Working of D.M.C.	2075–76
1460	Pay Commission for Delhi School Teachers	2076
1461	Governors	2076
1462	Obscene Literature in Delhi	2076
1463	Distribution of Basic Chemicals	2077

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1464	ताज महल में प्रवेश	2077
1465	नई अखिल भारतीय सेवायें	2077
1466	आसाम में शरणार्थी	2078
1467	भारत सुरक्षा नियमों के अधीन केरल में गिरफ्तारियां	2078
1468	बीजापुर दुर्ग और स्मारकों को क्षति	2078
1469	केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	2079
1470	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद की अनुसन्धान योजनायें	2079
1471	मनीपुर के छात्रों को छात्रवृत्तियां	2079–80
1472	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं	2080–81
1473	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषण परिषद् में वैज्ञानिक	2081

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(1) वर्तमान शीत लहर के दौरान आश्रय की कमी के कारण दिल्ली में कई व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा 2081–85

श्री मेहर चन्द खन्ना 2081–85

(2) दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

श्री स० मो० बनर्जी 2106

श्री शाहनवाज़ खान 2106

सभा पटल पर रखे गये पत्र 2085–86

राज्य सभा से सन्देश 2086

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौवनवां प्रतिवेदन 2086

महाराष्ट्र के भूमि सम्बन्धी विधान आदि को नगर हवेली पर लागू किये जाने के बारे में याचिका 2086

रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ बातों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में वक्तव्य—

श्री स० का० पाटिल 2087

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने के लिये राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव

श्री तुलशीदास जाधव 2088

श्री ओंकार लाल बेरवा 2088–89

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1464	Entry to Taj Mahal	2077
1465	New All India Services	2077
1466	Refugee Camps in Assam	2078
1467	Arrests in Kerala Under D.I.R.	2078
1468	Damage to Bijapur Fort and Monuments	2078
1469	Central Board of Higher Secondary Education	2079
1470	C.S.I.R. Research Schemes	2079
1471	Scholarships to Students from Manipur	2079–80
1472	Examinations held by U.P.S.C.	2080–81
1473	Scientists in C.S.I.R.	2081

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE--

(i) Reported death of a number of persons in Delhi for want of shelter during the present cold wave

Shrimati Lakshmi Kanthamma 2081–85

Shri Mehr Chand Khanna 2081–85

(ii) Strike by Delhi Milk Scheme employees

Shri S. M. Banerjee 2106

Shri Shahnawaz Khan 2106

PAPERS LAID ON THE TABLE 2085–86

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 2086

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS--

Fifty-fourth Report 2086

PETITION RE : EXTENSION OF MAHARASHTRA LAND LAWS ETC. TO NAGAR HAVELI 2086

STATEMENT RE : ACTION TAKEN ON POINTS MADE BY MEMBERS DURING DISCUSSION ON RAILWAY BUDGET—

Shri S. K. Patil 2087

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL--

Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to refer to Joint Committee

Shri Tulshidas Jadhav 2088

Shri Onkar Lal Berwa 2088–89

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—जारी

विषय	पृष्ठ
श्री अ० प्र० शर्मा	2089
डा० सरोजिनी महिषी . . .	2089–90
श्री स० मो० बनर्जी	2090–91
श्री यशपाल सिंह .	2091
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी . .	2091–92
श्री मु० क० चागला . . .	2092–95

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे), 1964-65—

श्री शामनाथ	2095
श्री हिम्मतसिंहजी	2096
श्रीमती यशोदा रेड्डी .	2096
श्री ओंकार लाल बेरवा	2096
श्री बसुमतारी .	2097
श्री यशपाल सिंह .	2097
श्री न० प्र० यादव	2097
श्री नम्बियार .	2098
श्री शिवमूर्ति स्वामी .	2098
श्री म० प० स्वामी . . .	2098

नये आयुध कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—

श्री रंगा . .	2099–2100
श्री दी० चं० शर्मा .	2100–01
श्री हरि विष्णु कामत	2101–02
श्री स० मो० बनर्जी	2102
श्री शिव नारायण	2102–03
श्री नारायण दांडेकर	2103–04
श्री ओंकार लाल बेरवा	2104–05
श्री नम्बियार	2105
श्रीमती अकम्मा देवी	2105

Subject	*Pages*
Shri P. A. Sharma . . .	2089
Dr. Sarojini Mahishi . .	2089–90
Shri S. M. Banerjee	2090–91
Shri Yashpal Singh . .	2091
Shri J. P. Jyotishi . .	2091–92
Shri M. C . Chagla	2092–95

DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANT (RAILWAYS), 1964-65—

Shri Sham Nath .	2095
Shri Himmatsinhji . .	2096
Shrimati Yashoda Reddi	2096
Shri Onkar Lal Berwa	2096
Shri Basumatari	2097
Shri Yashpal Singh	2097
Shri N. P. Yadab	2097
Shri Nambiar . . .	2098
Shri Sivamurthi Swamy .	2098
Shri M. P. Swamy	2098

MOTION RE : STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF NEW ORDNANCE FACTORIES—

Shri Ranga .	2099–2100
Shri D. C. Sharma .	2100–01
Shri Hari Vishnu Kamath .	2101–02
Shri S. M. Banerjee .	2102
Shri Sheo Narain	2102–03
Shri N. Dandekar	2103–04
Shri Onkar Lal Berwa	2104–05
Shri Nambiar . .	2105
Shrimati Akkamma Devi	2105

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a Summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK-SABHA

बुधवार, 16 दिसम्बर, 1964/25 अग्रहायण, 1886 (शक)

Wednesday, December 16, 1964/*Agrahayana* 25, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[The Lok Sabha met at Eleven of the clock]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Stay of Ministers in Villages while on Tour

\+

*527. **Shri Gokulananda Mohanty :**
Shri Vishram Prasad :
Shri Bagri :
Shri Rama Chandra Mallick :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Prime Minister stated in the Lok Sabha sometime back that while on tour the Ministers should stay in villages ; and

(*b*) if so, to what extent the Ministers have actually followed this principle while planning their tour programmes ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (*a*) and (*b*) The Prime Minister made a general suggestion that Ministers should, without any impediment in their work, visit villages off and on and meet the people there. This is being observed as far as practicable.

श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या प्रधान मंत्री के वक्तव्य का मैं यह अर्थ समझूं कि जब कोई मंत्री दौरे पर होता है अथवा एक गांव का दौरा कर रहा होता है तो उसे नगर में विश्राम के लिये वापस नहीं लौटना चाहिये बल्कि वहीं ठहरे रहना चाहिये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं तो यह समझता हूँ कि इस का अर्थ थोड़े समय के लिये ठहरना हो सकता है और रात भर के लिये ठहरना भी।

श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या वह एक फतवा था जिसका शब्दशः पालन किया जाना था ?

श्री रंगा : जी नहीं, जहां तक संभव हो ।

श्री नन्दा : इसका पालन किया जा रहा है । हम प्रत्येक दिन मे इन सब दौरों का हिसाब नहीं रख सकते ।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that while making this announcement the Prime Minister might have an idea that just as we did in pre-independence days we will be doing even, now *i.e.*, going to villages, staying with them, eating with them, sleeping in the beds alike theirs if so, whether Home Minister has conveyed this feeling to his Ministers and asked them to follow it ?

Shri Nanda : This is a fact.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि कुछ मंत्री जब सरकारी दौरों पर होते हैं, वे बड़े-व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के पास ठहरते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, और वे सरकारी आवास का उपयोग भी करते हैं, जैसे कि सर्किट हाउस, निरीक्षण बंगलो और अन्य स्थानोंका, तो दूसरे व्यक्तियों को उनका बिल चुकाने देते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार इन गंदे और अस्वस्थ तरीकों को रोकने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुतही अच्छा सुझाव अथवा अनुपूरक प्रश्न हो सकता है । परन्तु इसे यहां नहीं पूछा जा सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु प्रश्न सरकारी दौरों से संबंध रखता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उन्हें गांवों में अधिक ठहरना चाहिये । श्री कामत को ऐसा प्रश्न पूछना चाहिये जो इससे अधिक संबंधित हो ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप प्रश्न के शब्दों को देखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने देख लिये हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका क्या अर्थ है "मंत्रियों का दौरे पर ठहरना ?" एक पहलू है गांवों में ठहरना और दूसरा यह है । प्रश्न मंत्रियों के दौरे के संबंध में है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उदेश्य केवल यही था कि शहरों में ठहरने की बजाये वे गांवों में ठहरे ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बात कहां है ? प्रश्न यह नहीं कहता ।

श्री हाथी : प्रश्न गांवों में मंत्रियों के ठहरने के संबंध में है ।

श्री हरि विष्णु कामत : कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यह समझा हूँ । हो सकता है मैं गलत हूँ । अब चूंकि मंत्री उत्तर दे रहे हैं वह बैठ जायें ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें जवाब देने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने सोचा कि माननीय मंत्री खड़े थे ।

श्री नन्दा : वह बता रहे थे कि यह प्रश्न मंत्रियों के गांवों में ठहरने से संबंध रखता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । इस प्रश्न पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूँ । हमें प्रश्न की भाषा को देखना है । मैं यह नहीं जानता कि मंत्री के दिमाग में क्या है अथवा प्रश्न-कर्ता के दिमाग में क्या है । आप न्यायाधीश रह चुके हैं और आप यह जानते हैं । निर्वचन कानून की भाषा पर निर्भर होता है । यह प्रश्न सरकारी दौरों पर मंत्रियों के ठहरने से संबंधित है । उनका

एक पहलु गांवों में ठहरने का है और दूसरा बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों--मित्रों के साथ ठहरने का है। क्या अनुपूरक प्रश्न उनको परेशान कर रहा है अथवा क्या बात है ? यदि ऐसी बात है तो यह उनका अपना विचार है। आप उनको बचाना क्यों चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उनको मेरा बचाने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं प्रश्न को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि यह किस प्रकार उठा। मैं पृष्ठभूमि जानता हूँ और वक्तव्य भी जानता हूं जो दिया गया था।

श्री हरि विष्णु कामत : तथ्यों को कौन नहीं जानता। विवरण हमारे पास नहीं आया। मैं इस प्रकार की बात नहीं समझ सकता।

Shri Achal Singh : As ordered by the Prime Minister I visited many villages in my constituency of Agra. There the cultivators told me that, there is the shortage of foodgrains, seeds, there is waterlogging. I have written to District Magistrate in this regard but nothing has been done. What action the Government propose to take in such matters ?

An hon. Member : What relation has it got with this ?

Shri A. P. Sharma : The Minister just now stated that keeping in view the practicability, the Minister's will be told to observe it. Is this the only impracticable thing that if they stay with particular persons in villages it will increase the evil ? Are you going to issue an order for the Ministers not to stay with any particular person while on tour to villages ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री रंगा : जब वे गांवों में जाना और रात्रि के लिये वहां ठहरना संभव समझे, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वे किसी गैरसरकारी मकान में न ठहरें बल्कि केवल पंचायत घर अथवा स्कूल अथवा इन जैसी किसी जगह पर ठहरें और अपना खर्चा दें ?

अध्यक्ष महोदय : श्री अ० प्र० शर्मा ने भी यह बात पूछी थी। शायद उन्होंने अनुवाद नहीं सुना।

श्री रंगा : क्या उन्होंने इसका कोई उत्तर दिया ? मैं अपने या उनके प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा कि यह एक सुझाव था। सरकार इस पर विचार कर सकती है।

श्री जयपाल सिंह : स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से लेकर मंत्री अपने साथ सुरक्षा गार्ड तथा व्यक्तिगत संरक्षण सहित दौरे की सम्पूर्ण करने वाली लोगों को ले जाते हैं। क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि गांवों के आतिथ्य की परम्परा से मंत्रियों का गांवों में ठहरना उनके लिये बहुत महंगा नहीं पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भी विचार के लिये है।

श्री विश्वनाथ राय : यह देखते हुए कि गांवों में अभी भी संचार साधनों की कमी है क्या मंत्रियों को गांवों में ठहरने के लिये कहने की नीति सरकार के दृष्टिकोण से व्यवहारिक होगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर भी विचार किया जा सकता है।

Shri Gulshan : The Home Minister told that the statement of Prime Minister is being put into practice. May I know the names of the Ministers who have so far stayed there together with the names of the villages and whether a list can be furnished ?

Mr. Speaker : How is it possible at this time to tell the names of all the Ministers and the places where they stayed ?

Shri Gulshan : He might tell about one Minister.

Mr. Speaker : But how now..............

Shri Gulshan : That means the Prime Minister's statement is not being put into practice.

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether the Prime Minister made this impracticable announcement as a result of which he gained more respect in the eyes of the public since he wanted to do good work for the public but we can be helpless, we cannot do it ?

Shri Nanda : I think it is wrong to have such presumptions about anybody in this manner. No such thing has happened which could create such an impression.

Dr. Ram Manohar Lohia : Has he followed my question?

Shri Nanda : Yes.

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : Ministers are not girls as would not understand.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यह यहां की परम्परा है कि कुछ निम्नतर स्तर रखा जाता है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिये। मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि वे अपने आप पर कुछ काबू रखें और हमें उस गरिमा को भूलना नहीं चाहिये जो हमें देश के अन्य व्यक्तियों को दिखानी है कि हम जनता के जिम्मेवार प्रतिनिधि हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Is it being said for Shri Tyagi?

Mr. Speaker : First I said to you and later to Shri Tyagi.

Devanagri as a Common Script for Indian Languages.

\+

***528 { Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Chief Ministers of various States in India had some years ago expressed the opinion regarding the adoption of Devanagri as the common script in India; and

(b) if so, the steps taken so far by the Government of India to get the above decision implemented by the various State Governments?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) and (b) A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The Chief Ministers Conference (1961) was of the view that a common script will serve as the great writing factor between the different languages of India and in the present circumstances only Devnagri can be the common script. The conference decided that although difficulties can arise in the near future in adopting common script, we should be conscious of this object and should make efforts for this.

(b) In all the points of the country Hindi is being taught as a subject in Devnagri script and it is hoped that in due course all the educated persons of the country will be able to follow Devnagri script. The Sahitya Acadami has started a scheme of printing selected books of different Indian languages in Devnagri script to promote the use of Devnagri as a common ancillary script for writing in other languages. The Education Ministry is also arranging the publication of bilingual books in regional languages.

Shri Prakash Vir Shastri : In the Chief Ministers' Conference it was unanimously decided that Devnagri should be made the alternative script for all the languages. Now why it should be sent to them when all the States agreed on it through their representatives. Is that Government of India is itself not determined and wants to postpone it?

Shri L. N. Mishra : Decision has already been taken and we have written to the States and we are also making efforts in this direction. But it will not be proper to thrust it on somebody. We admit that it should be encouraged and efforts are being made to this end.

Mr. Speaker : The Hon. Member wants to say that in the Chief Ministers' Conference the States' were represented by their Chief Ministers' and their opinions were taken. This was the opinion and that implied that States agreed to its decision and after that there was no need for consulting the States.

श्री रंगा : राय कैसे ली जा सकती थी .....

अध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल प्रश्न का अनुवाद कर रहा हूं । मैं अपनी ओर से कूछ नहीं कह रहा हूं । मैं उत्तर का भी अनुवाद कर दूंगा ।

श्री रंगा : मैं समझा था कि आप कुछ विचार व्यक्त कर रहे थे ।

Mr. Speaker : Shri Shastri may himself put his question. I do not say anything.

Shri Prakash Vir Shastri : Whatever you are saying is absolutely correct.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : What was decided in the Chief Ministers' Conference was a good thing but it is not possible to do immediately in all the places. We are working in this direction, this was all they meant to say. They do not mean to introduce it immediately in all the places.

Shri Prakash Vir Shastri : I am very sorry to say that my question is being evaded or Government is reluctant to give reply to my questions. My question is that when the Chief Ministers of all the States are representing their respective States and they take a decision jointly that implied that all the

State Governments agreed to that. Then, what is the reason for not taking a decision on this point. Do the Government of India itself feel weak and is it for this reason that question is being evaded?

Mr. Speaker : Now I may tell you the answer of the Minister also. He says that even after that decision that work has to be done by the States. That is why they have been asked again. The decision was not that it will be done immediately. They only decided that it should be done. When it will be done this depends on the States.

Shri Prakash Vir Shastri : The reply of Government is not satisfactory.

Mr Speaker : Now you may ask another supplementary.

Shri Prakash Vir Shastri : Recently our Education Minister complained in this House and outside that the Three Language Formula is working successfully in South India and in Non-Hindi speaking States but it is not being taught with the desired speed in Hindi speaking areas. May I know if the Three Language Formula can be easily introduced through the medium of that alternative script which has been announced in the Chief Ministers' Conference?

Shri Nanda : This is a suggestion for consideration.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I think that the Home Ministry is fully aware that the former President Dr. Rajendra Prasad has said in a number of speeches that Devanagri should be the script of all the regional languages. Will Government of India follow it?

Shri Nanda : Efforts are being made for that very purpose.

श्री हनुमन्तैया : मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन कब हुआ था, क्या उस सम्मेलन में सभी मुख्य मंत्री उपस्थित थे और क्या यह दक्षिण भारत में हुई थी अथवा उत्तर भारत में ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह 1961 में हुई थी और अधिकतर मुख्य मंत्री उपस्थित थे ।

श्री हनुमन्तैया : कौन कौन से मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं थे ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं नाम नहीं बता सकता, परन्तु दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों सहित अधिकांश उपस्थित थे ।

Shri M. L. Dwivedi : Are Government aware that in Aligarh University even Hindi is taught in Roman script if so the reasons therefor?

Shri L. N. Mishra : Yes, Sir it is so there. They have introduced Roman script on an experimental basis.

Shri Prakash Vir Shastri : This is against the Constitution.

श्री रघुनाथ सिंह : यह संविधान के विरुध्द है । हम इस मामले को लेंगे ।

Shri Dinen Bhattacharya : May I Know whether the Devnagri has been recommended by the some expert Committee or this has been enforced arbitrarily by some Central or State Ministry ?

Shir L. N. Mishra : This has not been done arbitrarily, all the concerned persons have been consulted and for fostering the unity of India, it is essential that there should be a common Script.

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं 25 या 30 सदस्यों को अनुमति नहीं दे सकता । मैं केवल 4 या 5 और सदस्यों को अवसर दे सकता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : हम इस पर 2 घंटे की चर्चा कर सकते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या सरकार यह महसूस करती है कि संविधान का एक अनुच्छेद है जिस के अन्तर्गत अल्प संख्यकों की भाषाओं को अपनी लिपि रखने का अधिकार है ? यदि सरकार का यह मत है चाहे केन्द्र में अथवा राज्यों में, कि वे केवल देवनागरी को रखेगें, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि संविधान मे संशोधन किया जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : देवनागरी अन्य भाषाओं की लिपियों को हटा कर नहीं रखी जा रही है । अत: अन्य लिपियों से झगड़े की कोई बात ही नहीं है ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या सरकार विभिन्न मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रकट की गई रायों पर कार्यवाही करना चाहती है अथवा ऐसी भाषाओं के ध्वनिविज्ञान और विद्याविज्ञान संबंधी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करेगी जिनकी लिपियां और साहित्य बहुत पुराने हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी, नहीं ।

Shri Raghunath Singh : Is it the policy of the Government that in Central University of Aligarh Hindi Education should be imparted through Roman Script and in pursuance of that policy Hindi is taught in Aligarh University through Roman Script, whereas it is provided in the Constitution that Hindi shall be taught in Devnagri Script ?

Mr. Speaker : This has been answered when this question came sometime back.

श्री रघुनाथ सिंह : संविधान के विरुद्ध क्यों ऐसा होना चाहिये ?

Shri Nanda : No specific policy is involved in it. We, ourselves realise that this cannot be considered to be a good thing.

श्री रघुनाथ सिंह : संविधान के विरुद्ध ऐसी कार्रवाही क्यों होनी चाहिये ?

Mr. Speaker : Shri Chagla has dealt with all the points in his speech the other day.

Shri Raghunath Singh : Shri Chagla said that the 15 student's learning Hindi there will be imparted euducation in Roman Script and not Urdu-Hindi education will be imparted in Roman Script.

Mr. Speaker : Now he has said.

श्री रघुनाथ सिंह : यह संविधान के विरुद्ध है ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दक्षिण के लोग अपनी लिपि बदलना नहीं चाहते अथवा यह नहीं चाहते कि उसको कम महत्व दिया जाये अथवा उनके स्थान पर देवनागरी लिपि को लाकर उनकी अवहेलना की जाये ?

श्री नन्दा : कहीं पर भी अनिवार्यता नहीं है ।

श्री नम्बियार : इसे लागू ही क्यों किया जाना चाहिये ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह निर्णय 1961 में किया गया था । क्या किसी भी हिन्दी भाषी अथवा अहिन्दी भाषी राज्य सरकार ने इसे सामान्य लिपि के रूप में अपनाया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : देश के सभी भागों में विद्यार्थियों को हिन्दी देवनागरी लिपि मे पढ़ाई जा रही है । उदाहरणार्थ, मद्रास मे इस दिशा मे प्रारम्भिक स्तर पर प्रयत्न किये जा रहे हैं । योजना के अधीन, वहां पहले ही हिंदी अर्थात् देवनागरी-तामिल बालपोथी निकाल दी गई है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : समस्त देश का एकीकरण करने के लिये एक ही लिपि अपनाने के स्थायी महत्व को ध्यान मे रखते हुए, क्या सरकार के पास देवनागरी लिपि मे संस्कृत को, जो सभी प्रदेशों के लिये अधिक अनुकूल और स्वीकारात्मक है, लोकप्रिय बनाने के लिये, कोई प्रस्ताव है ?

श्री ल० ना० मिश्र : संस्कृत देवनागरी में है । देवनागरी के सम्बन्ध में इस तर्क के पीछे यह एक मुख्य बात है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को उचित मंत्रणा दी जाती है कि सभी मुख्य मंत्रियों और भारत के सब राज्यों को मिलकर लिपि और भाषा के विषय पर घोषणा करने के लिये सक्षम अथवा योग्य नहीं समझा जा सकता और न ही उनके मत को निर्णय माना जा सकता है ?

श्री ल० ना० मिश्र : निःसन्देह इस बारे में संविधान में उपबन्ध है और इसको क्रियान्वित करना सरकार का कर्त्तव्य है । हम केवल संविधान के उपबन्धों को क्रियान्वित करने जा रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : प्रश्न संविधान के उपबन्धों के बारे मे नहीं है । प्रश्न यह है कि प्रवीणता के दृष्टिकोण से कौन सक्षम है ?

श्री रंगा : वह स्वयं इस का उत्तर देने के सक्षम नहीं हैं ।

श्री नन्दा : उत्तर बहुत साधारण है : मत को निर्णय नहीं कहा जा सकता ।

श्री कपूर सिंह : क्या आप मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का भी उत्तर देंगें ?

Shri Radhe Lal Vyas : Is it a fact that Sanskrit in Devnagri script is being taught throughout India including South and Bengal and whether there is any Script other than Devnagri which is taught throughout India ?

An Hon. Member : Not taught throughout India.

Mr. Speaker : Here it is not the question that Sanskrit should be taught in Devnagri Script.

श्रीमती यशोदा रेड्डी : निःसन्देह संविधान तो है परन्तु कभी कभी इस को भी लोकमत के आगे झुकना पड़ता है, मैं भारत सरकार तथा सम्बन्धित मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि क्या वे सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी लिपि अपनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं का अपने तरीके के अनुसार विकास न हो ?

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या भारत सरकार हमें अपने तरीके से हिन्दी सीखने का अवसर नहीं देना चाहती, चाहे यह रोमन लिपि में हो अथवा अन्यथा ? क्या यह केवल देवनागरी लिपि में भी होगी ?

श्री नन्दा : मैं ने पहले ही इस का उत्तर दे दिया है कि किसी को एक विशेष रास्ता अपनाने के लिये आबद्ध करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : तो फिर संविधान का इतना हवाला क्यों दिया जाता है ?

श्री राधे लाल व्यास : यहां संविधान है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस निर्णय लेने के पश्चात . . . .

श्री रंगा : क्या निर्णय लिया गया था ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या राज्य सरकारों ने इस को लागू करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा कि मैंने पहले बताया, देवनागरी लिपि को और इस को सार्वजनिक सहायक लिपि के रूप में प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं। देश में सभी माध्यमिक विद्यालयों के लड़के और लड़कियों को देवनागरी में हिन्दी पढ़ाने के लिये व्यवस्था की गई है। इस के फलस्वरूप, यह आशा की जाती है कि आगामी पीढ़ी में भारत में लगभग सभी शिक्षित युवक अपने प्रदेश में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली लिपि के अतिरिक्त देवनागरी लिपि से भी परिचित होंगे।

Santhanam Committee Report

\+

*529. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri D. C. Sharma :
Shri Y. S. Chaudhary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 350 on the 23rd September, 1964 and state:

(a) the up-to-date progress made in regard to the implementation of the Santhanam Committee's recommendations;

(b) the recommendations on which decision has yet to be taken; and

(c) when the decisions will be taken on all of them?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सिफ़ारिशों के मांगों को मिला कर कुल तिहत्तर सिफ़ारिशें ज्यों की त्यों या परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर ली गई हैं और लागू कर दी गई है। पन्द्रह सिफ़ारिशें ज्यों की त्यों या परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर ली गई हैं और उनकी क्रियान्विति विचाराधीन है, और उन्चास सिफ़ारिशें विचाराधीन है।

(ग) शेष सिफ़ारिशों के बारे में जितनी जल्दी सम्भव हो उतनी जल्दी निर्णय करने के लिये पूरी चेष्टा की जा रही है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Since my original question is in Hindi, the Hon. Minister should also try to answer it in Hindi.

श्री हाथी : मुझे दुःख है कि मैं ने उत्तर हिन्दी में नहीं पढ़ा। यह मेरे पास यहां है।

Mr. Speaker : The translation has been rendered. The hon. Member should now put the question.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : As stated by the hon. Minister that progress has been made in the implementation of the Santhanam Committee's recommendations, may I know their effect on the Ministers and the high officers ?

Shri Hathi : There are different types of recommendations. Some will have effect on Ministers and Ministries, some will have effect on officers and the remaining will have effect on the public. They will, however, affect all in some degree.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : How much time it will take when these recommendations are effective fully and everything is set right ?

Shri Hathi : As the recommendations are gradually implemented, their effect will go on increasing.

Shri Prakash Vir Shastri : The Santhanam Committee has given some suggestion with regard to *Ombudsman* Commission, what is the difficulty in accepting this suggestion and in taking a practical steps in this regard in spite of the fact that this matter has been discussed here time and again ?

Shri Hathi : Their suggestion that there should be some institution like *Ombudsman* Commission to look into the corruption cases and public grievances, has already been implemented partly by appointing Central Vigilance Commission, who will look into the corruption cases. The other aspect relating to grievances is under consideration

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सदाचार समिति की रचना सन्थानम समिति प्रतिवेदन के फलस्वरुप हुई है अथवा इस का विचार किसी और ने दिया है ?

Shri Hathi : It was considered that there should be an official body to cultivate public opinion and as I think the Sadachar Samiti is the result of this idea.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं मंत्री महोदय को गत सत्र में सन्थानम समिति के प्रतिवेदन के ग्यारहवें अध्याय में दी गई सामाजिक वातावरण सम्बन्धी सिफारिशों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में दिये गये वक्तव्य का स्मरण करा सकता हूं और हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित परस्पर विरोधी प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये एक उपयुक्त कार्यप्रणाली को निर्धारित कर लिया है अथवा करने का विचार रखती है और यदि हां, तो वह कार्यप्रणाली क्या है ?

श्री हाथी : मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा कि माननीय सदस्य कौन से विशेष वक्तव्य का संकेत कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : वक्तव्य यह था कि विषय विचाराधीन है ।

श्री हाथी : ..... क्योंकि गत सत्र में सन्थानम समिति के प्रतिवेदन का हवाला कई बार दिया गया था, परन्तु जिस प्रक्रिया को स्वीकार अथवा घोषित किया गया था अब भी जारी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं नहीं समझा सका ।

श्री हाथी : मंत्रियों के विरुद्ध जांच करने के लिये प्रक्रिया, जिस की सरकार ने सभा में घोषणा की थी अब भी जारी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : तब मैं क्या यह समझूं कि सन्थानम समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है ?

श्री हाथी : सरकार ने मंत्रियों के विरुद्ध जांच सम्बन्धी प्रक्रिया की घोषणा कर दी है कि यदि मामला किसी केन्द्रीय मंत्री अथवा किसी राज्य के मुख्य मंत्री से सम्बन्धित होगा तो उसकी जांच प्रधान मंत्री जी करेंगे और यदि मामला किसी राज्य के मंत्रीमण्डल के एक मंत्री से सम्बन्धित होगा तो इस की जांच मुख्य मंत्री और केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री जी करेंगे ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : सन्थानम समिति की यह भी एक सिफारिश है कि व्यथा सुनने के लिये एक निर्देशक रखा जाये । क्या वह एक शासकीय अथवा अशासकीय अधिकारी होगा ?

श्री हाथी : जसा कि मैं ने कहा, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों तथा लोक व्यथा दोनों के लिये एक पद रखने का विचार था । इन में से, पहले भाग के लिये केन्द्रीय विज़ीलैंस आयुक्त की नियुक्ति की है । और दूसरा विचाराधीन है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार ने सन्थानम समिति के प्रतिवेदन के उस भाग को स्वीकार कर लिया है जिस में यह उल्लेख किया गया है कि यदि विधान सभा अथवा संसद के 10 सदस्य किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत करें तो इस की जांच होनी चाहिये ।

श्री हाथी : एक ऐसी सिफारिश तो है जिस के बारे में सरकार ने कुछ निर्णय किये हैं, जिन की यहां घोषणा कर दी गई है ।

Shri Bibhuti Mishra : Are Government taking any constructive steps to raise the moral standard of the people so that there is no occasion of corruption, instead of inflicting punishment in accordance with the Santhanam Committee's recommendations ?

Shri Hathi : There are two things: firstly we should formulate our public opinion against corruption and secondly we should find out the cause of corrupt practices and try to remove it.

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : Are the Ministers corrupt only and not the MPs. ?

Shri Onkar Lal Berwa : Of the cases in which prosecutions were launched against Ministers or officers under the Santhanam Commitees' report has any case been decided or not ?

Shri Hathi : There is nothing in the Santhanam Committee's recommendations regarding launching of prosecutions.

Mr. Speaker : No prosecution has been launched as a result of the Santhanam Committee's report.

Shri Onkar Lal Berwa : What has been done with the charges which were framed.

Mr. Speaker : This is another question.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या प्रशासनिक विलम्बों को दूर करने से सम्बन्धित सिफारिशो को क्रियान्वित कर लिया गया है और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री हाथी : नि:सन्देह इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और यह जानने के लिये कि विलम्ब कहां होते है और उन के कारण क्या हैं, हम ने महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के लिये 4 उप-समितियां नियुक्त की हैं । प्रत्येक समिति का मुखिया एक संसद सदस्य है । वे इस की जांच कर रहीं हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच के पश्चात, सरकार ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में एक मंत्री से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के मामले को केन्द्रीय गुप्तचर विभाग अथवा किसी अन्य अधिकरण को निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा ?

श्री हाथी : यह एक सुझाव है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

Mr. Speaker : Shri Sheo Narain.

Mr. Sheo Narain : I want to know that....

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न है ....

श्री शिव नारायण : मैं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : चाहे वह बोल भी रहे हों, मैं उन को ऐसा करने से मना कर सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि समाचार पत्रों से पता चला है कि मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों ने केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग की इस विशेष जांच पर आपत्ति की थी। क्या सरकार ने इस आपत्ति के कारण इस प्रक्रिया को बन्द कर दिया है और राजनैतिक जांच के अतिरिक्त केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग की जांच की व्यवस्था नहीं करना चाहती ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे .....

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री कहते हैं कि : हम अभी विचार कर रहे हैं कि इसको जारी रखा जाये अथवा बन्द कर दिया जाये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : परन्तु यह मंत्री क्यों उत्तर दे रहे हैं ? वह कौन होते हैं उत्तर देने वाले ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं कहता हूं कि हमें इस प्रकार की जांच को स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था प्रश्न है। इस प्रश्न का निर्देश गृह-कार्य मंत्री की ओर था परन्तु एक अन्य मंत्री खड़े हो कर कहते हैं कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : जब वह उत्तर नहीं दे रहे होते हैं तब वह एक सदस्य हैं और इसलिये सभी ओर से विघ्न डाले जा रहे हैं। परन्तु मंत्रियों को अपने आप को वश में रखना चाहिये चाहे वे कितने प्रबल मत क्यों न रखते हों ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमन, क्या यह आप का विनिर्णय है कि ऐसे विषयों पर अपने मत प्रकट कर सकते हैं जब अन्य मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जा रहे हों ? . . . **(अन्तर्बाधाए)**

श्री त्यागी : यह एक साधारण बात कही गई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं इस प्रकार कार्यवाही को चला सकता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमन, हम इस मामले पर विनिर्णय चाहते हैं। वह एक कैबिनेट मंत्री के रैंक का मंत्री है, यद्यपि मंत्रिमण्डल का सदस्य नहीं है : वह मंत्रीपरिषद का एक सदस्य तो है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मुझे कहना था, मैंने पहले ही कह दिया है। मैं और क्या कह सकता हूं ?

श्री रंगा : श्रीमन, मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। आपने कहा कि वे सदस्य भी हैं। जैसे ही वे मंत्री बन जाते हैं और अन्य उत्तरदायित्व संभाल लेते हैं तो उन से यह आशा नहीं की जा सकती अथवा उनको यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे सदस्यों के रूप में भी कार्य करें जैसा कि अन्य सभी सदस्य करते हैं **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मेरी अन्तिम टिप्पणियों को नहीं सुना। मैंने कहा था कि मंत्रियों को अपने आप पर रोक लगानी चाहिये।

श्री रंगा : क्या यह पर्याप्त ?

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं ऐसा ही सोचता हूं।

श्री रंगा : श्रीमन, आप ऐसा सोच सकते है। परन्तु मैं चाहता हूं कि यदि अब नहीं तो बाद में आप इस पर अच्छी प्रकार विचार करके अपना निश्चित विनिर्णय दें। क्योंकि जब सभा में एक सदस्य किसी मंत्री से एक प्रश्न पूछता है तो क्या किसी अन्य मंत्री को एक सदस्य के रूप में अपने मत प्रकट करने का अधिकार है ? क्या यह ठीक है यह एक अन्य प्रश्न है कि ऐसा उचित है कि नहीं, परन्तु मेरे विचार में यह गलत है और इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर अच्छी तरह विचार करने के पश्चात् अपना विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हमें प्रश्नों को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिये ?

श्री हरि विष्णु कामत : कृपया आप आगे बढ़ें, परन्तु यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और नहीं बढ़ने देते हैं। मैंने उन से कई बार प्रार्थना की है कि जब तक किसी सदस्य को पुकारा नहीं जाता, उस को बोलना आरम्भ नहीं करना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु मैं तो नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं इस नियम के अधीन इसे उठा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैंने भी इस नियम को एक अथवा दो बार पढ़ा है। मुझे यहां इसका स्मरण कई बार कराया गया है। मैं सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि यहां जितने व्यवस्था-प्रश्न उठाये जाते हैं, चाहे उनमें से दो प्रतिशत अथवा तीन प्रतिशत ग्राह्य पाये गये हैं, व्यवस्था प्रश्न नहीं होते। और आग यह कि हमने 35 मिनटों में केवल तीन प्रश्न ही किये हैं। आखिर इतनी तो हो बुद्धि हम में होनी चाहिये कि हम कम से कम 10, 12 प्रश्न तो प्रश्न काल में समाप्त कर लें। मैं इसमें इनकी सहायता और सहयोग चाहता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय के निर्णय के प्रति पूर्ण आदर व्यक्त करता हुआ मैं यह कहूंगा कि यह जो सदन में कर्क ध्वनि चलती रहती है वह क्यों नहीं बन्द की जाती ? जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा यहां कार्य कसे चलेगा ?

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं आप से मार्गदर्शन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक औचित्य प्रश्न उठाया हुआ है। मार्गदर्शन बाद में होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं बहुत विनम्रता के साथ यह निवेदन करता हूं कि हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। आपने बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय दिया है कि एक मंत्री एक ही समय में दोनों प्रकार से काम कर सकता है अर्थात् एक मंत्री के रूप में तथा एक सदस्य के रूप में भी। अब अनुमान कीजिए कि एक मंत्री जिससे प्रश्न किया गया है वह उस प्रश्न का एक प्रकार से उत्तर देता है या देने वाला है अथवा आगे देने का वचन करता है और इस बीच में दूसरा मंत्री एक सदस्य के रूप में कूद पड़ता है और दूसरा उत्तर देता है तो क्या इससे गड़बड़ नहीं होगी ? इसलिये आप ऐसी चीजें समाप्त कीजिये अन्यथा सब मामला समाप्त हो जायेगा। इससे तो यही प्रतीत होगा कि सरकार के मंत्रियों का एक आवाज़ नहीं है। आपने कई बार निर्णय दिया है कि एक मंत्री सारी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार संयुक्त रूप से तथा अलग अलग रूप से उत्तरदायी है। अब आप ने कह दिया है कि एक मंत्री एक सदस्य के रूप में भी बोल सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मंत्रिमंडल और यह संसदीय लोक तंत्र कैसे पनप पायेगा ?

Shri K. D. Malaviya : Why are you stretching it so far ?

Shri Hari Visnu Kamath : Keep quiet.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। क्योंकि एक माननीय सदस्य इस प्रकार बोलते हैं तो दूसरे माननीय सदस्य भी उसी तरह बोलते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने तो श्री मालवीय की ओर देखा भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। कृपया बैठ जाइए। कुछ शब्द मेरे ऊपर थोपे जा रहे हैं जो मैंने कहीं भी नहीं थे। मने तो एक साधारण सी बात कही थी कि जब किसी मंत्री का किसी प्रश्न से संबंध नहीं होता और फिर भी उसके मुंह से कोई शब्द निकल जाये तो मैं कहूंगा कि वे शब्द उसने एक सदस्य के रूप में कहें हैं न कि एक मंत्री के रूप में। ऐसा तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है कि मैं मंत्रियों के मुंह से कोई शब्द निकलने ही न दूं। साथ ही मैंने यह भी कह था कि मंत्रियों को अपने ऊपर कुछ संयम रखना चाहिये और बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। सदस्यों ने मेरे इन शब्दों की तो क़दर की नहीं केवल वे शब्द पकड़ लिये कि मैंने उन्हें सदस्य का रूप क्यों दे दिया है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अन्यथा उन्हें अनुपूरक प्रश्न करने की भी अनुमति देनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो यह कभी नहीं कहा।

डा० राम सुभग सिंह : हम आपके शिकार नहीं बनने वाले।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने क्या कह दिया ?

श्री हेम बरुआ : गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि मामला विचाराधीन है और उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया था, परन्तु यहां एक मंत्री उठ खड़े हुए और कह दिया " हम ऐसा कतई नहीं मानेंगे "।

श्री त्यागी : वह तो यों हीं कह दिया था।

श्री हरि विष्णु कामत : आप तो शान्त रहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब यह आकस्मिक टिप्पणियां बन्द होना चाहिये और हम प्रश्न को आगे बढ़ायें।

दिल्ली में मूल्य प्रतिरोधी आन्दोलन

+
*530. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में शान्ति भंग करने की चेष्टा करने वाले समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध तथा बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के विरुद्ध नागरिकों द्वारा चलाया गया आन्दोलन कहां तक सफल हो सका है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मूल्य वृद्धि विरोधी आन्दोलन को सभी सम्भव सहायता दी जा रही है और जब कभी जरूरत पड़ी तो इस आन्दोलन को भंग करने की चेष्टा करनेवाले समाज-विरोधी तत्वों को रोकने के लिये उचित कदम उठाये गये हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि इनको विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि यह आन्दोलन सारे भारत में फैल जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम इस आन्दोलन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । इस आन्दोलन ने बहुत ठीक ढंग से काम किया है और कुछ सफलता भी प्राप्त की है । इस समय तो हमने उन्हें जगह के बारे में विशेष सुविधा दी है । हम उनका प्रोत्साहन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह सहकारी समितियां बनायें । इसके अतिरिक्त हम उनकी और भी सहायता करना चाहते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : दिल्ली में तो यह आन्दोलन कुछ व्यक्तियों ने आरंभ किया था तो क्या इनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों को लिखा है कि वे भी वहां इस प्रकार के आन्दोलनों को प्रोत्साहन दें ।

श्री ल० ना० मिश्र : दूसरे राज्यों को तो हम ने कोई परिपत्र नहीं भेजा है। जहां तक दिल्ली का सम्बंध है हम ने दिल्ली राज्य प्रशासन से कहा है कि वह इसे प्रोत्साहन दें और वह ऐसा कर भी रहे हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गत अगस्त-सितम्बर के महीनों में दिल्ली के नागरिकों ने संचय किया हुआ अनाज पकड़वाने में अधिकारियों की सहायता की और अब वह अनाज भी संचय करने वालों को लौटा दिया गया है और उन्हें कोई दण्ड भी नहीं दिया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि संचय करने वालों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सत्य नहीं है । अनाज पकड़ा गया था और मुकदमे दर्ज कर दिये गये हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : ऐसे आन्दोलनों को मान्यता देने का आधार क्या है ? ऐसे आन्दोलनों को बुरे प्रभाव से बचाने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक बुरे प्रभाव का सम्बंध है उसके बारे में तो कहना कठिन है । सहकारी समितियां बनाने में हमने स्थान देकर प्रोत्साहन दिया है और आवश्यक सहायता भी देंगे ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैंने तो पूछा था कि दिल्ली अथवा बाहर इस आन्दोलन को मान्यता देने का क्या आधार है और इसे बुरे प्रभाव से कैसे बचाया जायेगा । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): इस कार्य में मैं स्वयं रुचि ले रहा हूं। जहां तक मुझे याद है सहकारी संस्थाओं को सहायता दी गई थी। उपभोक्ताओं की एक परिषद स्थापित की गई है जिसमें नगर के विभिन्न भागों के प्रतिनिधि हैं जिनका इस आन्दोलन से सम्बंध था और इस प्रकार एक नियमित संस्था इस काम की देख भाल कर रही है।

केरल सरकार के कर्मचारियों का सदाचार समिति में भाग लेना

\+

*531. **श्री उमानाथ :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री नम्बियार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह चेतावनी दी है कि वे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अथवा सरकारी अधिकरणों के बारे में कोई सूचना अथवा शिकायत संयुक्त सदाचार समिति में न भेजें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा केरल राजपत्र में प्रकाशित आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है [**पुस्तकालय में रख दी है।—देखिए ल० ट० 3636/64**]। इस आदेश में दी गई हिदायतें बिलकुल वैसी ही है जैसी केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये जारी की हैं। इन हिदायतों में यह बताया गया है कि इस समिति के सदस्यों की हैसियत में कर्मचारियों की उचित गतिविधियों की क्या सीमाएं हैं। कर्मचारियों को चेतावनी देने का कोई प्रश्न नहीं था।

श्री उमानाथ : विवरण में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को समिति के मंच को सरकारी कर्मचारियों अथवा सरकारी अधिकरणों के विरुद्ध सूचना तथा शिकायतें करने का स्थान नहीं बनाना चाहिये। जब समिति दूसरे लोगों से शिकायतें प्राप्त कर रही है तो सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? क्या सरकार को यह डर है कि किसी बड़े सरकारी अधिकारी का भांडा-फोड़ न हो जाये? आखिर ऐसी कौनसी विशेष बात है जिसके कारण सरकार ने यह पाबंदी लगाई है?

श्री हाथी : संयुक्त सदाचार समिति एक गैर-सरकारी संस्था है जिसका मुख्य काम तो जन-भावना को उन्नत करना तथा शिकायतें प्राप्त करना है परन्तु वह कोई सरकारी संस्था नहीं है। यदि सरकारी कर्मचारियों को अपने उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें करने की अनुमति दे दी जाये तो फिर प्रशासन और अनुशासन नहीं रहेगा। इस लिये सरकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि वे अपने विभाग के मामलों को सदाचार समिति में न ले जावें अन्यथा वे अपने ही अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें करते रहेंगे। हम अनुभव करते हैं कि यह नहीं होना चाहिये।

श्री उमानाथ : सरकारी कर्मचारियों के समिति से सहयोग के बारे में भी यह लिखा है "शर्त यह है कि समिति से सहयोग के कारण उनके सामान्य सरकारी काम काज में कोई बाधा न पड़े।" भला इस पाबंदी की क्या आवश्यकता है? क्या सरकार वास्तव में चाहती है कि वह समिति को सहयोग दें अथवा वह उनका इससे पृथक्करण चाहती है?

श्री हाथी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने "सहयोग" शब्द का ठीक अर्थ नहीं समझा। वह समिति से सहयोग तो कर सकते हैं परन्तु उसके कारण उनके सरकारी काम में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये। उदाहरणार्थ, वे संयुक्त सदाचार समिति के कार्यालय में 11—00 बजे से 5—00 बजे तक नहीं जा सकते। वे समिति के कार्य में सहयोग दे सकते है परन्तु इस से उनके काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिये।

श्री नम्बियार : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में इन शब्दों से उनका क्या तात्पर्य है : "संयुक्त सदाचार समिति का सदस्य बनने से पूर्व उन्हें सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है परन्तु इस सहयोग का दफ़्तर के मुख्य अधिकारी को पता होना चाहिये"। इन दोनों बातों को आप कैसे मिलायेंगे ? एक ओर तो आप कहते हैं कि दफ्तर के मुख्य अधिकारी को बताना होगा और दूसरी ओर कहते हैं कि पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर आप का ठीक मतलब क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : शर्त यह है कि समिति के सहयोग के कारण उनके सरकारी काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिये। इसलिये अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया जाना ठीक है।

श्री नम्बियार : क्या किसी कर्मचारी के लिये यह सम्भव है कि वह सूचना देने के बाद समिति में शामिल हो जाये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह मेरे विचार जानना चाहते हैं ? यह उत्तर तो सरकार देगी।

श्री नम्बियार : सरकार को बताना चाहिये कि क्या ऐसा सम्भव है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

पर्यटकों के लिये होटलों में मदिरा

+

*532. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रसिद्ध होटल मालिकों का एक प्रतिनिधिमण्डल हाल में ही **गृह-कार्य** मंत्री से मिला था और उसने उनसे यह प्रार्थना की थी कि अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये इस देश में होटलों में मदिरापान करने के बारे में पर्यटकों पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसका शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि इस प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार का ध्यान टेकचन्द समिति की उस सिफ़ारिश की ओर दिलाया है जिसमें लिखा है कि प्रत्येक होटल में एक कमरा विदेशी पर्यटकों के लिये आरक्षित कर देना चाहिये जहां वे मदिरापान कर सकें ? यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार उस समिति की इस सिफ़ारिश को मानने को तैयार है ?

श्री हाथी : प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार का ध्यान टेकचन्द समिति की रिपोर्ट की ओर दिलाया है। उन्होंने "पर्यटकों संबंधी समिति" की ओर भी ध्यान दिलाया है। मामला विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस प्रतिनिधि मण्डल के विचारों को जानने के अतिरिक्त क्या सरकार ने अपने पर्यटक विभाग के विचार भी इस विषय पर जानने का प्रयत्न किया है ?

श्री हाथी : मैंने अभी कहा कि हमारे पास "पर्यटन संबंधी समिति" की रिपोर्ट भी है। हम इस विषय पर भी विचार कर रहे हैं।

चीन समर्थक गतिविधियां

+

*533. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री लहरीसिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1964 के "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता में तीन विदेशों के कुछ प्रतिनिधियों के चीन समर्थक तत्वों द्वारा राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां की गई हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच पड़ताल की है और केन्द्रीय सरकार को मामले की सूचना दी है ;

(ग) यदि हां, तो इन विदेशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) जांच पड़ताल के फलस्वरूप सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जो सूचना मांगी गई है वह गुप्त प्रकार की है और मैं जनहित में उसे बताना नहीं चाहता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह तो आश्चर्यजनक है। समाचार के अनुसार तीन देशों का नाम लिया जा रहा है। उनमें दो देश तो पूर्वी यूरप के हैं और एक दक्षिण पूर्वी एशिया का है। मैं जानना चाहता हुं कि क्या सरकार यह नाम भी बताने को तैय्यार नहीं है ?

श्री हाथी : हां, यह गुप्त है क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार आ रहे हैं। इस लिये यह सूचना देना अभी ठीक नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सच है कि कस्टम वालों को एक तलाशी लेने के समय कुछ कागज मिले जिन से यह स्पष्ट था कि वह देश यह राजनीतिक कामों पर धन व्यय कर रहा है। क्या वह कागज पकड़े गये हैं या नहीं ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने कहा कि हमें बहुत सूचना प्राप्त हुई है जिसमें से कुछ तो सत्य है और कुछ असत्य। मैं यह भी कह सकता हूं कि वह सूचना सत्य है परन्तु इस से अधिक बताना जनहित में नहीं है। वैसे तो मैं इस सदन से तथा माननीय सदस्य से कुछ छुपाना नहीं चाहता परन्तु मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न न पूछें।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मुझे याद है कि एक बार पहले भी जब एक मंत्री ने जनहित का मामला उठाया था तो यह निश्चय हुआ था कि अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय के साथ पत्र आदि देखेंगे कि मामला जनहित का है अथवा नहीं और इस बारे में अन्तिम निर्णय आपका होगा। अतः मैं देश के हित में आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस मामले को पूरी तरह जांचे चाहे इस प्रश्न का उत्तर आज नहीं फिर बाद में मिल जावे ;

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अब क्योंकि वह सूचना देना नहीं चाहते, तो क्या मैं इतना ही जान सकता हूं कि जो कागज पकड़े गये हैं उनसे यह दिखाई देता है रुपया राजनीतिक तत्वों को दिया गया हैं और वह भी उन्हें जो इस देश मे चीनी समर्थक रहते हैं ?

श्री हाथी : इस समय तो मैं इतना भी बताना नहीं चाहता क्योंकि इस से दूसरो को संकेत मिल जावेगा। इस लिये इस समय इस से अधिक कहना जनहित में नहीं है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इन बातों के प्रकाश में आने के बाद इस काम को अग्रतर चालू रखा जा रहा है ?

श्री हाथी : जी हां।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनियों का काम करने का नया ढंग यहां के देशद्रोही तत्वों का उन दूतावासों के द्वारा प्रयोग करने का है, जो चीन के हक में हैं और अब चूंकि यह जासूसी का जाल कलकत्ता से नई दिल्ली और बम्बई तक पहुंच गया है, सरकार ने चीन सरकार को अंतिम चेतावनी क्यों नहीं दी ? यदि वह इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देते तो सरकार चीन से राजनीतिक सम्बंध क्यों नहीं तोड़ती ?

श्री हाथी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये बहुत सी चीज़ों की कल्पना करनी पड़ेगी। इस लिये इस समय तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता।

श्री हेम बरुआ : पहले तो चीनी यहां अपने वाणिज्य दूतावास और बैंक आफ चाइना की सहायता से कार्य कर रहे थे। उन दोनों के बन्द होने के पश्चात अब वे उन दूतावासों के द्वारा काम कर रहे हैं जो चीन के समर्थक हैं। यह बात हमारे देश की सुरक्षा के लिये बहुत खतरनाक है और इसी कारण मैं इस से इतना चिन्तित हूं। श्री नन्दा ने चीनी दूतावास को बन्द करने का क्यों विचार नहीं किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह सारी सूचना दी है और उन्हें इस से सन्तुष्ट भी होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या सरकार को यह पता है कि इन दो तीन संदिग्ध साधनों के अतिरिक्त और भी साधन है जिनके द्वारा चीन के पिट्ठुओं को धन दिया जा रहा है ?

श्री हाथी : सरकार को इस से भी अधिक पता है।

मोटी सतह वाली सड़कें

\+

*535. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री मुरली मनोहर :
श्री वसवन्त :
श्री राम हरख यादव :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री बृज राज सिंह-कोटा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली ने सिफारिशें की हैं कि देश में तेज़ी से बढ़ते हुए यातायात के लिये मोटी सतह वाली सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए,

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण की समस्याओं की जांच करके यह सिफारिश की है कि इससे पहले कि सड़कों पर आस्फाल्टिक कंक्रीट या घना बिटुमिन कारपेट बिछाया जाये, निचली सतह की मज़बूती और लक्षण और यातायात की तीव्रता और भार को ध्यान में रख कर सड़क की वर्तमान मोटापे को दोबारा बनाना चाहिये । संस्था ने सामान के श्रेणीकरण की जांच, वर्गीकरण और ताप नियंत्रण, बाईंडर और मिक्सचर आदि आदि की गुण नियंत्रण की भी सिफारिश की है । जहां आर्थिक कमी के कारण सड़कों की ऊपरी सतह को तुरन्त मोटा नहीं किया जा सकता वहां बिटुमिनस सतह को यथासम्भव पतला रखने की सिफारिश की गई है, जिससे जब सड़कें मोटी की जाय तो कम से कम हानि हो ।

संस्था की सिफारिशें प्रविधिक परामर्श के रुप में हैं । देश में सड़कें बनाने वाली एजन्सियों को इसके बारे में पता है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार इन सड़कों का परीक्षण करेगी कि वर्तमान सड़कों की तुलना में उन पर कितना अधिक व्यय होगा और वे कितनी अधिक चलेंगी ?

श्री मु० क० चागला : परीक्षण किये गये हैं । यह पाया गया है कि मोटी सतह की सड़कें बहुत महंगी है, परन्तु हमने यह भी देखा है कि बिना इसके सड़कों पर जो आसफाल्ट बिछाई जाती है वह अधिक देर नहीं चलेगी । अतः हमने मंत्रालय और सम्बन्धित निकाय को यह सलाह दी है कि जब वह नई सड़कें बनायें तो मोटी सतह की बनायें । यदि सतह की मरम्मत करनी है और मोटी सतह बनाने के लिये धन नहीं है, तो वह इसको अधिक न फैलायें, जिससे कि जब उनको दोबारा बनाना पड़े तो व्यय अधिक न हो ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या दिल्ली की सड़कों को भी उसी प्रकार बनाया जा रहा है, यदि हां, तो अनुमानित व्यय क्या है ?

श्री मु० क० चागला : उदाहरण के तौर पर हमने दिल्ली नगर निगम को परामर्श दिया था कि 18 सड़कों पर अधिक मोटी सतह होनी चाहिये और अधिक मोटी कारपेट होनी चाहिये । हमसे परिव्यय के बारे में नहीं पूछा गया । यह कार्य प्रयोगशाला का है । परिव्यय निर्धारण करना सम्बन्धित निकाय का काम है ।

तेल शोधन क्षमता

*536. **श्री हेम बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1968-69 तक तेले शोधन क्षमता बढ़ा कर लगभग 235 लाख टन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों के बीच इसका वितरण किस प्रकार होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) जी हां ।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 7.75 मिलियन मीटरी टन उपलब्ध है और शेष सरकारी क्षेत्र में होगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सरकार निजी क्षेत्र की शोधनशालाओं को शोधन क्षमता बढ़ाने की आज्ञा दे रही है। यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल्दिया और मद्रास में दो शोधनाशालाओं को स्थापित करने के बाद और यदि निजी क्षेत्र की शोधनाशालायें अपनी क्षमता लक्ष्य के अनुसार बढ़ा दें तो चौथी योजना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में वितरण बराबर रहेगा ?

श्री अलगेशन : प्रश्न वर्ष 1968-69 तक का है। चौथी योजना के अन्त में निजी क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। जहां तक क्षमता का सम्बन्ध है निजी क्षेत्र की शोधनशालायें पूरी क्षमता से कार्य कर रही हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुपात में कोई अन्तर नहीं आयेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या माननीय मंत्री का ध्यान भूतपूर्व तेल मंत्री श्री मालवीय के इस कथन की ओर दिलाया गया है कि हाल्दिया और मद्रास में शोधनशालाओं की स्थापना के प्रस्ताव को दो वर्ष के लिये स्थगित किया जाये, क्योंकि तब तक पता चल जायगा कि कच्चे तेल के स्त्रोत कहां है, यदि हां, इस उपयोगी सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अलगेशन : मैंने समाचारपत्रों में इस आशय के समाचार देखे हैं। जब श्री मालवीयजी ने सुझाव दिया तो मैं भी उस बैठक में उपस्थित था। तदुपरान्त हालही में सरकार ने मद्रास और हल्दिया में तेल शोधक कारखाने बनाने का निर्णय किया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में एक घरेलू नौकर को दी गई यातना

*537. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 वर्ष की आयु का एक घरेलू नौकर पुलिस की यातना के कारण मर गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राजधानी में इस प्रकार की यातना के कारण मरने वाला यह तीसरा व्यक्ति है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में किसी जांच का आदेश दिया गया है ; और

(घ) पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातना की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार की उपलब्ध सूचना के अनुसार एक घरेलू नौकर, जब वह पुलिस हिरासत में था, पुलिस द्वारा पीटे जाने के कारण 31 अक्टूबर, 1964 को मर गया। अस्पताल में तैयार किये गये चिकित्सा-कानूनी ब्यान के अनुसार उसकी आयु 27 वर्ष लिखी गई थी और शव परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार उसकी आयु 25-26 वर्ष की थी।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार का कोई और मामला हमारी सूचना में नहीं आया।

(ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत एक मजिस्ट्रेट ने इस मामले की जांच की थी।

(घ) पुलिस द्वारा यातना के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सभी पुलिस अधिकारियों को यातना देने के विरुद्ध कड़ी चेतावनी के बारे में पता है और समय समय पर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठकें होती हैं उनमें भी इस बात पर बल दिया जाता है। किसी भी यातना की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा तुरंत जांच की जाती है।

पुलिस अधीक्षक के पद के सतर्कता अधिकारी की हाल ही में नियुक्ति की गई है, और उसका यह कर्त्तव्य है कि पुलिस स्टेशनों पर जाकर देखे कि पुलिस स्टेशन डायरी में बिना उचित प्रविष्टि के कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पूछ ताछ के लिये नहीं रोका गया। पुलिस अधीक्षक और अन्य राजपत्रित अधिकारी भी पुलिस स्टेशनों की आकस्मिक जांच करते हैं।

त्रिवेदी पंचाट

*538. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री बसवन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्तर्राज्यिक सीमा विवादों के बारे में दिये गये त्रिवेदी पंचाट में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की क्रियान्विति पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ; और

(ग) स्थिर सीमाओं का सीमांकन कब होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जैसा कि मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर में 18 नवम्बर, 1964 को बताया था, प्रधान मंत्री ने श्री सी० एस० त्रिवेदी द्वारा की गई सभी सिफ़ारिशों को मंजूर कर लिया है।

(ख) श्री त्रिवेदी के प्रतिवेदन में दिये गये अनुमान के अनुसार अकेले सीमा-स्तम्भों के निर्माण पर लगभग 5 लाख रुपये की लागत आयेगी।

(ग) दोनों राज्यों के बीच स्थिर सीमाओं का सीमांकन संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन आवश्यक कानून बना लिये जाने के बाद ही किया जायेगा।

अवैध रूप से आने वाले पाकिस्तानी

*539. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 304 तथा उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 और 1964 में अब तक पाकिस्तानी सैनिकों की आड़ में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले कितने पाकिस्तानी आसाम, त्रिपुरापूर्व पाकिस्तान के सीमावर्ती ग्रामों में बस गये हैं; और

(ख) उनके निष्कासन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रखी जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों के सहकारी भण्डारों में चीनी

*540. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी भण्डार, नई दिल्ली में चीनी का कोटा कम करके प्रति मास प्रति परिवार 10 किलो से 7 किलो और 7 किलो से 5 किलो कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कदम उठाने का विचार है, जिससे कि इस स्टोर के सभी सदस्यों को उचित मात्रा में नियमित रूप से चीनी मिल सके तथा उनका दफ्तर का समय नष्ट न होने पाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक सदस्य को चीनी का कार्ड देने की कार्यवाही की जा रही है जिससे वह इस प्रयोजन के लिये निश्चित शाखा स्टोर से परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से एक किलो चीनी ले सके (जिसमें घरेलू नौकर भी शामिल हैं।) यह मात्रा दिल्ली प्रशासन ने निर्धारित की है। प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिये वितरण प्रक्रिया में भी सुधार किया जा रहा है।

Influx of Refugees into Tripura

*541. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri D. C Sharma :
Shri Karni Singhji :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the influx of refugees into Tripura is still continuing ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to control the situation?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : (a) Yes, Sir. There has, however, been a steady decline in the rate of influx since June, 1964.

(b) It is proposed to take up with the Pakistan Government, at the next Conference of the Home Ministers of the two countries, the question of the continuing influx and to stress on them the need for taking immediate and effective steps to create conditions, which will put an end to it.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिक

*542. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का शासी निकाय एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके अनुसार वैज्ञानिको के कार्य के आधार पर प्रतीभावान् नव वैज्ञानिकों को शीघ्र पदोन्नति देने के लिये वर्तमान नियमों में कुछ परिवर्तन किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस नये प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) नये नियम कब से लागू होंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) जी हां। योग्यता के आधार पर वैज्ञानिकों की पदोन्नति करने की एक योजना 1958 से चल रही है। नियमों में सुधार करने का प्रश्न विचाराधीन है।

कुछ वर्गों के वैज्ञानिकों को, पांच वर्ष की अवधि के बाद उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति करने की एक नई योजना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय ने अनुमोदित कर दी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी का प्रयोग

*543. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि 1951 से पहले के अंग्रेजी में पारित किये गये पुराने अधिनियमों का संशोधन करने के लिये भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया जायेगा; और

(ख) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में कुछ समाचार छपे हैं। राज्य सरकार से यह सूचना मिली थी कि वह उत्तर प्रदेश भाषा (विधान मंडल में कार्य संचालन) विधेयक, 1964 को पेश नहीं कर रहे हैं। इस विधेयक में 26 जनवरी, 1965 के उपरान्त पुराने अधिनियमों में, जो अब केवल अंग्रेज़ी में उपलब्ध है, संशोधन करने के लिये हिन्दी के ऐच्छिक प्रयोग का उपबंध है।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 210 और 345 के अन्तर्गत, राज्य विधान मंडलों को इन विषयों पर निर्णय लेना होता है और राज्य सरकार ने इन निर्णयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से राय नहीं मांगी है।

आर्थिक पुंज

545. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री वेंकटासुब्बया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 23 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 353 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न प्रबन्धक पदों पर भर्ती करने के लिये एक आर्थिक पुंज बनाने के प्रश्न की इस बीच जांच की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पूल के लिये व्यक्तियों के चुनाव तथा भर्ती को किस प्रकार नियमित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख), केन्द्रीय आर्थिक "पुंज" के विविभिन्न पहलू अभी विचाराधीन हैं।

डा० राजेन्द्र प्रसाद का स्मारक

*546. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद का उपयुक्त स्मारक बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी रूपरेखा तैयार की गई है, और

(ग) स्मारक कब तक बनने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

1425. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाबी विश्वविद्यालय ने उन व्यक्तियों के लिये जिन्होंने इजीनियरिंग का तीन वर्ष का डिप्लोमा पास किया है अगले शैक्षिक सत्र से इंजिनियरिंग में संक्षिप्त डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय किया है; और

(ख) क्या देश के अन्य इंजीनियरिंग कालेजों में भी इस नीति का अधिकाधिक अनुसरण किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) यह पाठ्यक्रम तकनीकी शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद् या केन्द्रीय सरकार के कहने पर आरम्भ नहीं किया जा रहा है । इंजीनियरिंग कार्य करने वाले डिप्लोमाधारियों के लिये इंजीनियरिंग की अंशकालीक डिग्री का पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार का देश में 30 केन्द्र स्थापित करने का विचार है जो प्रत्येक राज्य में दो दो होंगे ।

विद्यार्थियों के लिये ऋण त । छात्रवृत्तियां

1426. **श्री पोट्टेकाट्ट** :
श्री अ० व० राघवन :
श्री हेमराज :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धन तथा योग्य विद्यार्थियों को ऋण और छात्रवृत्तियां देने के लिये क्या कोई परिनियत संगठन स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सोडा ऐश का उत्पादन

1427. **श्री जेधे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडा ऐश बनाने वाले विभिन्न कारखानों के नाम तथा स्थिति और 1963-64 के दौरान उनका वार्षिक उत्पादन क्या था;

(ख) क्या यह सच है कि सोडा ऐश का वर्तमान उत्पादन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इसका उत्पादन बढ़ाने तथा देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) सूचना नीचे दिये हुए विवरण में दी गई है :—

विवरण

कारखाने का नाम	स्थान	1963–64 में उत्पादन (टनों में)
1. मेसर्ज़ टाटा रसायन लिमिटेड . .	मीथापुर (गुजरात)	122,400
2. मेसर्ज़ सौराष्ट्र रसायन लिमिटेड . . .	पोरबन्दर (गुजरात)	77,900
3. मेसर्ज़ ध्रंगाधरा रसायन वर्क्स . .	ध्रंगाधरा (गुजरात)	44,300
4. मेसर्ज़ साहू रसायन और उर्वरक . . .	वाराणसी (यू० पी०)	14,500

(ख) जी हाँ ।

(ग) अधिक क्षमता के लाइसेंस देकर चाहे वर्तमान एककों के विस्तार से या नये उपक्रमों की स्थापना से ।

महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारी

1428. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं अधिनियम 1951 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों व विनियमों में दिये गये अभ्यंश से अधिक राज्य पुलिस अधिकारियों की तरक्की की है;

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के हकों की उपेक्षा न की जायें; और

(ग) महाराष्ट्र में भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों की संख्या क्या है जो सीधे भरती किये गये थे, और उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनकी पदोन्नति की गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) (1) सीधे भरती किये गये . . . 84
(2) पदोन्नत किये गये . . . 8

कुल 92

एक प्राचीन नगर का पता लगना

1429. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 1964 के स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के विभाग के खोज दल ने गोरखपुर में रामग्राम नाम का 2600 वर्ष पुराना नगर खोज निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो उस खोज का ब्योरा क्या है ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) खोज के ब्योरे का सत्यापन किया जा रहा है ।

कचार में शरणार्थियों का पुनर्वास

1430. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री 23 दिसम्बर, 1964 को तारांकित प्रश्न सं० 360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये भारतीय चाय संस्था योजना की असफलता की जांच करने के लिये 1962 में जिस समिति की नियुक्ति हुई थी, क्या उसके प्रतिवेदन पेश करने के लिये कोई अवधि निश्चित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के पेश होने की कब तक आशा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) जी हां । समिति के प्रतिवेदन पेश होने की पहली तारीख जो 30 अप्रैल 1963 को निश्चित की गई थी, अब बढाकर 31 जनवरी, 1965 कर दी गई है । इस तिथी तक प्रतिवेदन के पेश होने की आशा है ।

बामिया (अफगानिस्तान) में बुद्ध की प्रतिमायें

1431. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान के बामिया क्षेत्र की पहाड़ियों में क्या भगवान बुद्ध की दो प्रतिमायें क्रमश: 53 और 35 मीटर लम्बी मिली हैं और क्या अफगान सरकार के निमंत्रण पर भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण महा-निदेशक ने इनकी जांच कर ली है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में विस्तृत खुदाई करने का विचार है; और

(ग) इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) प्रतिमाओं के अस्तित्व के बारे में काफी समय से पता है। जुलाई, 1964 में पुरातत्व महा-निदेशक ने इनका निरीक्षण किया था।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई

1432. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई आरम्भ करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या इस योजना के बारे में राज्य सरकारों की राय मांगी गयी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) प्राथमिक स्कूलों के शिक्षाक्रम में किसी रुप में विज्ञान के प्रारम्भिक सिद्धान्तों की पढ़ाई शामिल है।

(ख) वर्ग 1–10/11 के लिए समन्वित पाठ्यक्रम के रूप में सामान्य विज्ञान की पढ़ाई को आधुनिक और सुदृढ़ करने के लिए कई दौर वाला एक पंचवर्षीय कार्यक्रम (1965–66 से आरंभ होकर) विचाराधीन है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल है :

(1) शिक्षा विषयक समान तैयार करना ; (2) अध्यापन की नयी शैलीयों का प्रयोग ; (3) विज्ञान संबंधी कामकाज का क्रमिक कार्यक्रम ; (4) पाठ्यक्रमों का सुधार ; (5) अध्यापकों का प्रशिक्षण और (6) प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। इस कार्यक्रम में यूनिसेफ और यूनेस्को से प्राप्त सहायता के उपयोग की भी व्यवस्था है।

(ग) राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

1433. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये किसी स्कूल की मान्यता के लिये आवेदनपत्र के साथ 300 रूपये की फीस केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निर्धारित की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह फीस या उसका कुछ हिस्सा स्कूल को मान्यता न दिये जाने पर लौटा दिया जाता है ; और

(ग) क्या यह बोर्ड मान्यता और फीस के भुगतान के मामले में भाषाई अल्पसंख्यकों के स्कूलों को (जैसे सिंधियों के लिए) कोई प्रोत्साहन देता है और किस हद तक ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाषाई अल्पसंख्यकों के स्कूलों सहित सभी स्कूलों के लिए मान्यता के नियम और फीस की दरें एक जैसी हैं।

अपंग व्यक्तियों की गणना

1434. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गृहकार्य मंत्रालय से मांग की है कि पिछली जनगणना रिपोर्ट तैयार करते समय अपंग व्यक्तियों और बहरे, गूंगे और अंधे व्यक्तियों को जनगणना में शामिल किया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी क्या राय है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) 1931 तक निरन्तर जनगणनाओं में अपंग, बहरे, गूंगे और अंधे व्यक्तियों के संबंध में की गयी पूछताछ की छानबीन इतनी अविश्वसनीय सिद्ध हुई कि 1931 के बाद इस पूछताछ को जनगणना के एक भाग के तौर पर बंद करने का निश्चय किया गया।

सार्वजनिक शिक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1435. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को कार्यपालिका बोर्ड में भारतीय शिष्टमंडल ने पिछले अक्टूबर में पेरिस में हुई अपनी बैठक में इस बात का विरोध किया कि उक्त संगठन ने इस वर्ष जुलाई में हुए लोक शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अपनी सेवाएँ वापिस ले ली हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय आपत्ति के संबंध में बोर्ड की क्या राय है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हाँ।

(ख) कार्यपालिका बोर्ड के अधिकतर सदस्यों ने भारतीय आपत्ति का समर्थन किया है। बोर्ड ने एक संकल्प पास किया कि यदि बोर्ड दो-तिहाई बहुमत से निश्चय करे तो भविष्य में केवल उन्हीं राज्यों को जो यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं, लोक शिक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया जाये। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन ने इस बीच इसका समर्थन किया है।

खम्भात क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस

1436. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात का प्राकृतिक गैस धुवरन तापीय बिजली घर में पहुंचाने के लिए जहां वह गैस ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जायगा, पाइप लाइनें पूरी हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी लागत कितनी है ;

(ग) इस परियोजना के अधीन कितनी गैस काम में लायी जायगी ; और

(घ) खम्भात क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाली कितनी गैस इस परियोजना के चालू हो जाने के बाद बेकार पड़ी रहेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) और (ख) जी हाँ, 30-9-1964 को। लागत लगभग 45 लाख रुपये है।

(ग) कोयली शोधन कारखाने से सप्लाई की गयी ईंधन तेल की मात्रा पर निर्भर होने के कारण, धुवरन बिजली घर को सप्लाई किये जाने वाले गैस की मात्रा प्रतिदिन 250,000 घन मीटर से 500,000 घन मीटर के बीच होगी। जब धुवरन बिजली घर की बिजली पैदा करने की क्षमता बढ़ायी जायगी तब गस सप्लाई की दर खम्भात गैस क्षेत्र के वर्तमान अनुमित अधिकतम संभाव्य सीमा तक अर्थात् 750,000 घन मीटर प्रति दिन तक संभवतः बढ़ा दी जायगी।

(घ) अधिकतम अनुमित वसूल की जाने वाली दर पर उपलब्ध 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच गस धुवरन बिजली घर को इस पाइप लाइन के जरिये दी जायगी। यह इस बात पर भी निर्भर होगा कि कोयली शोधक कारखाने से कितना ईंधन तेल सप्लाई किया जाता है।

पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण लोगों का विस्थापित होना

1437. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में युद्ध विराम रेखा के निकट सामरिक महत्व के क्षेत्रों में अभी हाल पाकिस्तानी सैनिकों की भारी गोलाबारी के कारण वहाँ से कितने व्यक्ति विस्थापित हुए ; और

(ख) उनको कहाँ और किस प्रकार फिर बसाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार जानकारी इकट्ठी कर रही है और वह प्राप्त होते ही एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायगा।

सदाचार समिति के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत

1438. **श्री उमानाथ :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री नम्बियार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सदाचार समिति के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) वे सदस्य कौन कौन हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) सदाचार समिति एक गैर-सरकारी संस्था है। उसके सदस्यों के कामकाज या उनके विरुद्ध शिकायतें सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आती।

देवदेखने शिखर पर आरोहण

1439. **श्री विश्व नाथ पांडे :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पर्वतारोही क्लब द्वारा संगठित पांच सदस्यों वाले एक दल ने 18 अक्तूबर, 1964 को गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में बद्रीनाथ के निकट देवदेखने शिखर पर आरोहण किया ;

(ख) यदि हाँ, तो उस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या पर्वतरोही दल में कोई विदेशी सदस्य था ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) कलकत्ता पर्वतारोही क्लब से प्राप्त एक संदेश के अनुसार उस क्लब द्वारा संगठित पांच सदस्यों वाला एक दल 18 अक्तूबर, 1964 को देवदेखने शिखर पर गया था। कलकत्ता पर्वतारोही क्लब हिमालयन माउन्टेनियरिंग इंस्टिटचूट, दार्जिलिंग, द्वारा तैयार किये गये पर्वतारोही क्लबों और असोसियेशनों की सूची में नहीं हैं। इंडियन माउन्टेनियरिंग फाउन्डेशन को भी इस क्लब के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उसे इस क्लब द्वारा संगठित किसी आरोहण दल तथा दूसरे ब्यौरे के बारे में कोई जानकारी है।

दिल्ली की रेलवे पुलिस

1440. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में क्रियाशील रेलवे पूलिस का कार्यभार दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) नीति के रूप में यह उचित समझा जाता है कि दिल्ली में रेलवे पुलिस का प्रशासन दिल्ली प्रशासन को पूरी तरह सौंप दिया जाये। इस समस्या के प्रशासनिक और वित्तीय ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

विज्ञान और गणित की पढ़ाई

1441. **श्री हेमराज :** क्या **शिक्षा** मंत्री 30 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान और गणित की पढ़ाई को आधुनिक बनाने के लिए यूनेस्को के दल की सिफारिशें अंतिम रूप से निश्चित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : शिक्षा संबंधी अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् ने जिसे यूनेस्को के दल की रिपोर्ट छानबीन के लिए सौंपी गयी थी, अभी तक अपनी छानबीन पूरी नहीं की है। परिषद् की राय मालूम हो जाने पर निश्चय किया जायगा।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग

1442. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान शाला, नागपुर, द्वारा लोक स्वास्थ्य इंजीनिगरिंग के अनुसन्धान सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर कई विचारगोष्ठियाँ की जा रही हैं ; और

(ख) क्या जल प्रयोग संबंधी समस्याओं पर कोई विचारगोष्ठी आयोजित की जा रही है और यदि हाँ, तो उसमें किन किन विषयों पर चर्चा की जायगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनिअरिंग अनुसन्धान शाला, नागपुर, में (1) 'ग्रामीण शौचालय और मूल्यांकन' और (2) 'जल प्रयोग संबंधी समस्याओं पर दो विचार गोष्ठियाँ क्रमश: 28 अक्टूबर और 29–30 अक्टूबर, 1964 को आयोजित की गयी थीं। 'जल प्रयोग सम्बन्धी समस्याएँ' के बारे में विचारगोष्ठी में प्रस्तुत पत्रों की एक सूची संलग्न विवरण में दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3637/64]**

'केअर' कार्यक्रम

1443. **श्री यु० सिं० चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन किन क्षेत्रों और स्थानों पर 'केअर' के कार्यक्रम चल रहे हैं ;

(ख) 'केअर' के अधिकारियों ने किन कसौटियों पर वह स्थान चुने हैं ; और

(ग) इस संगठन ने भारत में अब तक कितना धन खर्च किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 'केअर' का मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम आन्ध्रप्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, पंजाब, राजस्थान के राज्यों में और बम्बई नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) कार्य के क्षेत्र का चुनाव निम्न आधार पर किया जाता है :—

(1) सम्बन्धित राज्य सरकार की सहयोग देने की इच्छा, और (2) 'केअर' के पास सप्लाई की उपलब्धि ।

(ग) यह जानकारी सरकार के पास नहीं है।

Pilot Plant for Refining Heavy Crude

1444. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pilot plant for refining heavy crude was set up in March, 1962 by the Oil and Natural Gas Commission and was abandoned on the 11th April, 1963; and

(b) if so, the manner in which the machinery of the plant was utilised?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) Yes, Sir. The plant was set up to study behaviour of waxy crude in operation, give our engineer experience in designing and operating such plants and also use some part of the oil produced in the area. After these objects were partially fulfilled, the plant was closed down on economic considerations.

(b) A part of the equipment has already been taken on stock for issue to other projects. For the remaining, action is under way to utilise or dispose of it.

Oil and Natural Gas Commission

1445. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that stores worth several lakhs of rupees in the charge of Oil and Natural Gas Commission had not been properly accounted for up-till November, 1963 in the books of the Commission; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) There have been certain difficulties in the linking of foreign purchases with payments and it is a fact that stores worth approximately Rs. 1,000 lakhs had remained unlinked at the end of 1963. As a result of concerted efforts made, the unlinked amount has now been reduced to Rs. 644·61 lakhs.

(b) In order to ensure linking of the remaining stores, the Oil and Natural Gas Commission has constituted two teams for the exclusive purpose of linking the invoices with the goods receipt vouchers expeditiously. The teams are at present working under the supervision of a senior officer.

Primary Education

1446. **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Y. S. Chaudhary :
Shri Gokulananda Mohanty :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Primary School Teachers' Association urged upon the Central Government in November, 1964 that primary education be made a "Union" subject ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No such request has been received in this regard.

(b) Does not arise.

Regional Technical Teachers' Training Institutes

1447. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 230 on the 9th September, 1964 and state :

(a) whether the proposal to set up four Regional Technical Teachers' Training Institutes has since been finalised ; and

(b) if so, the names of the places where they will be set up and when ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) In 1965 at

Guindy-Adyar (Madras)

Bhopal (Madhya Pradesh)

Patiala (Punjab)

Jadavpur (West Bengal)

वाल्काट के बारे में विशेष पदाधिकारी की रिपोर्ट

1448. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डेनियल वाल्काट के कामकाज की छानबीन करने के लिये विदेश गया था क्या उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकारने वह रिपोर्ट मंजूर कर ली है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ ।

(ख) से (घ) छानबीन से यह दिखायी पडता है कि मुरुड में अवैधरूप से उतरने का प्रयोजन यह था कि भारत में घडियाँ चोरी से लायी जाँय और वाल्काट तथा अन्य लोगों का इस षडयंत्र में हाथ था । इनमें से कम से कम तीन व्यक्ति विदेशी हैं । जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस संबंध में विदेश गया था और उसने जो सामग्री इकट्ठी की है उसके आधार पर विधि मंत्रालय प्रत्यर्पण कार्यवाही आरंभ करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

अहमदाबाद में ब्ल्यू स्काइज़ प्राइवेट लिमिटेड का स्थानिक प्रतिनिधि

1449. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिनांक 16 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 716 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में ब्ल्यू स्काईज़ नामक यात्रा अधिकरण की स्थानिक सवेतन प्रतिनिधि एक आई० सी० एस० अधिकारी की पत्नी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस उच्चाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : गुजरात सरकार से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार बम्बई की "ब्ल्यू स्काइज़ प्राईवेट लिमिटेड" नाम के यात्रा अभिकरण की फर्म में अहमदाबाद के एक आई० सी० एस० अधिकारी की पत्नी स्थानिक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थी ।

(ख) राज्य सरकार अपने अधीन कार्य करने वाले इस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में पूर्णरूप से समर्थ है यदि उस ने अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमों का उल्लंघन किया है ।

मैसूर में हिन्दी लागू करने के लिये वित्तीय सहायता

1450. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) मैसूर राज्य में प्राथमिक स्कूलों में हिंदी लागू किये जाने के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये तुरन्त सहायता दी जाये, इस के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अहिन्दी भाषी-राज्यों को, जिन में मैसूर भी है, प्राथमिक स्कूलों में हिन्दी को लागू करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता ।

(ख) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों को तथा स्वयंसेवी संगठनों को हिन्दी प्रचार के लिये सहायता दी जाती है। निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार वर्ष के अन्त में राज्य सरकारों को अनुदान दिये जाते हैं। स्वयं सेवी संगठनों को प्रायः अग्रिम अनुदान दिये जाते हैं।

पंजाब में बहुप्रयोजनीय स्कूल

1451. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री साधुराम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब सरकार को बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं, बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने के लिये नहीं, अपितु बहुप्रयोजनीय स्कूलों को सशक्त करने के लिये सहायता दी गई है।

(ख) इस प्रकार के दो स्कूलों के लिये अनुदान मंजूर किये गये थे। ब्योरा इस प्रकार है :—

(1) 1963-64 में 3.10 लाख रु० परिव्यय की एक योजना सरकारी बहुप्रयोजनीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, पटियाला के लिये मंजूर की गई तथा 50,000 रु० की पहली किश्त दी गई।

(2) 1964-65 में 1.36 लाख रु० परिव्यय की एक योजना सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, चन्डीगढ़ के लिये अनुमोदित की गई है।

पंजाब में प्राथमिक स्कूलों की इमारतें

1452. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री साधूराम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार को 1963-64 तथा 1964-65 में अब तक कितनी धनराशि प्राथमिक स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिये ऋण अथवा राज-सहायता के रूप में दी गई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : पंजाब सरकार के लिये 1963-64 में स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिये कोई ऋण अथवा राजसहायता मंजूर नहीं की गई। पंजाब सरकार ने भारत सरकार की ऋण की शर्तों को नहीं माना। अतः 1964-65 में उन को ऋण देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक

1453. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन की अध्यक्षता में हाल ही में जयपुर में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक में यह निश्चय किया गया कि सभी सदस्य राज्य बिक्रीकर की वर्तमान त्रुटियों को दूर करने के लिये इस कर के बारे में एक ही प्रकार की प्रणाली अपनायें तथा केन्द्रीय सरकार ने इस आशय का आदेश सम्बंधित राज्यों को जारी कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 12 नवम्बर, 1964 को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जयपुर में हुई बैठक की कार्यवाही की सिफारशें अन्तिम रूप में यथाशीघ्र संसद पुस्तकालय में रख दी जायेंगी। सम्बंधित राज्यों को केन्द्र द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

1454. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान नामक की कोई संस्था बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यवार "अध्यापक दिवस" पर कुल कितनी धनराशि एकत्र की जा चुकी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, एक राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना की जा चुकी है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**कृपया देखें संख्या एल० टी०** 3638/64]

दिल्ली में औषधियों की फर्मों पर छापे

1455. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिक्रीकर अधिकारियों ने औषधियों की दुकानों पर छापे मारने पर अनेक झूठी खाता पुस्तकें पकड़ी ; और

(ख) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) जिस फर्म पर छापा मारा गया है वह रासायनिक पदार्थों का व्यापार करती है न कि दवाईयों का। बिक्रीकर अधिकारियों ने 24 खाता पुस्तकें और बहुत से अन्य दस्तवेज पकड़े हैं। इस मामले में लगभग पचास और रासायनिक पदार्थ व्यापारी भी इस में आते हैं। सभी व्यापारियों के मामलों का निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिये विशेष कार्यवाही की जा रही है।

Circulation of a Pamphlet in Malayalam

1456. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a pamphlet "Kerala Masses Sharpen Anti-Reactionary and Anti-Revisionist Struggle" in Malayalam has been in circulation for propaganda in the forth-coming elections in Kerala ; and

(b) if so, whether Government propose to impose any restriction on the circulation of the pamphlet ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) and (b) A pamphlet in English entitled "Kerala Masses Sharpen Anti-Reactionary and Anti-Revisionist Struggle" and its Malayalam version were found in circulation in Kerala. Orders were issued on 27th November, 1964 for the proscription of the pamphlet under rule 45 of the Defence of India Rules, 1962.

Board of Control for Cricket in India

1457. Shri Kishen Pattnayak : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the test matches with Australia, the present Chairman of the selection Committee of the Board of Control for Cricket in India went abroad and the selection of players for the second test was made two days earlier than the scheduled date for his convenience and the selection for the third test was made in his absence ;

(b) whether it is also a fact that according to the recommendations of the Council of Sports, the selection committee for players should only be constituted of ex-players of first grade and nobody should hold two elected posts of different sports institutions simultaneously; and

(c) if so, the reaction of Government to these recommendations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The All India Council of Sports have recommended that committees for the selection of players for international events in particular should be composed of persons who have All-India reputation for the knowledge of the game. The Council have also recommended that no office-bearer in one National Sports Federation should simultaneously hold office in any other Sports Federation.

(c) The Government of India have accepted the above recommendations of the Council and these will shortly be circulated to all the National Sports Federations for implementation.

गृह-कार्य मंत्रालय के कर्मचारी

1458. प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 तथा 1964-65 में अब तक गृह-कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुराचार, तथा अपने पदों के दुरुपयोग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) उन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : 1963-64 में भ्रष्टाचार की 3, दुराचार की 15 और पदों के दुरुपयोग की 1 शिकायत मिली हैं। 1964-65 में अब तक भ्रष्टाचार की 4, दुराचार की 4 तथा अपने सरकारी पदों के दुरुपयोग की 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) 20 मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई है। एक मामला न्यायालय में लम्बित है। शेष शिकायतें अस्पष्ट अथवा निराधार पाई गई हैं।

Working of Delhi Municipal Corporation

1459. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to appoint a Committee to enquire into the working of Delhi Municipal Corporation;

(b) if so, the composition, personnel and terms of reference of this committee; and

(c) when the report of the Committee is likely to be made available ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) A proposal to appoint a Committee to go into the question of the financial resources and requirements of the Municipal Corporation of Delhi is under consideration of the Government.

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के लिये वेतन आयोग

1460. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के वेतनक्रमों पर पुनर्विचार करने के लिये वेतन आयोग की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : इस प्रश्न पर विचार किया गया था। केवल सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिये वेतन आयोग नियुक्त किया जाना वांछनीय नहीं है।

राज्यपाल

1461. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यपालों की शक्तियां निश्चित करने और उन्हें अधिक प्रभावशाली तथा व्यापक कार्य सौंपने के बारे में नियम बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Obscene Literature in Delhi

1462. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri S. L. Verma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that literature containing nude photographs of women and obscene reading material is being sold in Delhi in abundance; and

(b) if so, the action taken by Government to ban the sale of such literature ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Government have no information of any wide sale of such literature in Delhi.

(b) Does not arise.

मूल रसायनों का वितरण

1463. श्री दलजीत सिंह :
श्री चुनी लाल :

क्या **पेट्रोलियम** तथा **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक उपभोक्ताओं को "सोडा ऐश" तथा कास्टिक सोडा आदि मूल रसायनों का वितरण करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मूल रसायनों का कुछ अभ्यंश आरक्षित रखा जाना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) देश में उत्पादित गंधक के तेज़ाब, 'सोडा ऐश' तथा कास्टिक सोडा आदि मूल रसायनों के मूल्य तथा वितरण पर अभी कोई नियंत्रण नहीं है और उपभोक्ताओं को इनका सम्भरण मुख्यत: सामान्य वाणिज्यिक सूत्रों के द्वारा किया जाता है। राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित 'कास्टिक सोडा' और 'सोडा ऐश' का वितरण, संबंधित सरकारी विभाग की सिफारिश पर, वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये किया जाता है, जिन में छोटे पैमाने के एकक भी शामिल हैं। अत: वितरण पर नियंत्रण के अभाव में किसी विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये अभ्यंश आरक्षित रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ताजमहल में प्रवेश

1464. **श्री बृजराज सिंह—कोटा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक योजना लागू कर रही है जिस से ताज महल में प्रवेश टिकटों के द्वारा होगा; और

(ख) यदि हां तो इस योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) शुक्रवार को छोड़कर और सब दिनों को 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के लिये टिकटों का मूल्य 20 पैसे लिया जायेगा। 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से कुछ नहीं लिया जायेगा।

नई अखिल भारतीय सेवायें

1465. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1963 के अधीन बनाई गई तीन नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिये भरती और सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने का काम पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां तो ये सेवायें कब तक बनाई जायेंगी और उनके लिये भरती कब आरम्भ हो सकेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी नहीं।

(ख) ज्योंही कुछ आवश्यक ब्यौरा अर्थात् इन तीन नई सेवाओं में रखे जाने वाले पदों की संख्या, राज्य सरकारों की राय से अन्तिम रूप से मिल जायेगा, ये सेवायें बना दी जायेंगी और इनके लिये भरती आरम्भ कर दी जायेगी।

असम में शरणार्थी शिबिर

1466. **श्री रा० बरुआ :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में शरणार्थी शिबिरों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या इन समस्त शिबिरों में अथवा इन में से किसी शिबिर में मौत हुई है; और

(ग) यदि हां तो शिबिर-वार तथा महीने वार मौतों की संख्या क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां । असम में, इन शिबिरों में चिकित्सा सुविधायें सामान्यत: संतोषजनक हैं ।

(ख) और (ग) इन शिबिरों में हुई मृत्यु के बारे में राज्य सरकार द्वारा सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत सुरक्षा नियमों के अधीन केरल में गिरफ्तारीयां

1467. **श्री प० कुन्हन :**
श्री नम्बियार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सुरक्षानियमों के अधीन, अक्तूबर और नवम्बर 1964 के दौरान कितने व्यापारियों को बन्दी बनाया गया और दण्ड दिया गया; और

(ख) इन में से कितने लोग खाद्यान्न की चोरबाजारी तथा जमाखोरी के कारण बन्दी बनाये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) खाद्यान्न की जमाखोरी के कारण 16 व्यापारी बन्दी बनाये गये और उन पर मुकदमे चलने वाले हैं ।

बीजापुर दुर्ग और स्मारकों को क्षति

1468. **श्री रा०गि० दुबे :**
श्री हे० वी० कौजलगी :
श्री हेमराज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बासप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के पुरातत्व निदेशक सितम्बर 1964 के अन्तिम सप्ताह में हुई बहुत भारी वर्षा के कारण बीजापुर नगर, दुर्ग की दिवार और महत्वपूर्ण स्मारकों को हुई क्षति का निरीक्षण करने के लिये हाल ही में बीजापुर गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि दुर्ग की दीवार के ऊपर से पानी बह कर आने के कारण बीजापुर के बहुत बड़े भाग में पानी जमा हो गया था और नगर में यह पानी 3–4 फुट तथा विश्वविख्यात स्मारक इब्राहीम रोज़ा के अंदर 5–6 फीट गहरा जमा हो गया; और

(ग) क्या पुरातत्व निदेशक ने कोई रिपोर्ट दी है और इस क्षति को भविष्य में रोकने के बारे में सिफारिशें की हैं जैसी कि खड्गवास्ला बांध के टूटने के कारण पूना नगर को हुई थी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । पुरातत्व महानिदेशक भावी क्षति को रोकने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ।

केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

1469. { श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हाल का प्रस्ताव, जिसमें त्रिवर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में कम्पार्टमेंट में रखे गये परीक्षार्थियों को दो अवसर देने को कहा गया था, चालू शिक्षा वर्ष से लागू होगा और क्या 1963-64 के दौरान कम्पार्टमेंट में रखे गये परीक्षार्थी भी लाभ उठा सकेंगे ; और

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मामला अभी तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की अनुसंधान योजनायें

1470. **श्री रा० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में, चुने हुए क्षत्रों में विशिष्ट जनशक्ति संबंधी अपनी आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष रुचिवाले विषयों के संबंध में अनुसंधान योजनायें आरम्भ करने का कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा कोयला प्रौद्योगिकी, धातु कार्मिक तथा रसायन इंजीनियरी और ऐसे ही दूसरे विषयों की उन स्थानों पर, जहां प्रशिक्षित वैज्ञानिकों का बहुत अभाव है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये क्या पग उठाए गए हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० चागला) : (क) विश्वविद्यालयों और दूसरी संस्थाओं में 1958 से चल रही सहायक अनुसंधान योजना का संबंध सीधे विशिष्ट जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं से नहीं है, किन्तु यह योजना विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवक वैज्ञानिक भेजती है, जिससे कि इन क्षेत्रों की जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सहायता मिलती है । गवेषणा समितियों को, जिनकी सिफारिशों पर अनुसंधान योजनायें स्वीकार होती हैं, मंत्रणा दी गई है कि वे देश में अपने अपने क्षेत्र की अनुसंधान संबंधी स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करे जिस में, उन क्षेत्रों में जहां केन्द्रीकरण हुआ है और उन क्षेत्रों में जहां ऐसी गहनता की आवश्यकता है, दर्शाया जाये ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना आयोग को जन शक्ति की जरूरतों के अनुसार देश में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुसार इन विषयों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय (प्रविधिक शिक्षा विभाग) करता ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् इस क्षेत्र में थोड़े समय के लिये प्रशिक्षण के विशेष पाठ्यक्रमों के लिये व्यवस्था करती है।

मनीपुर के छात्रों को छात्रवृत्तियां

1471. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे मनीपुर के अनुसूचित आदिम जाति छात्रों को अभी तक 1964–65 के लिये मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियों की पहली किश्त भी नहीं दी गयी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसी ही सूचनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने समय पर छात्रवृत्तियों का भुगतान करने अथवा शीघ्र देने की दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और आर्थिक तौर पर पिछड़े दूसरे वर्गों के छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिये दी जाने वाली मैट्रिक के बाद की छात्रवत्तियों की योजना का विकेन्द्रीकरण 1959-60 में किया गया था और तब से छात्रों को छात्रवृत्तियां देने का भार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों पर है। दिल्ली के कालेजों में पढ़ने वाले मनीपुर के छात्रों को छात्रवृत्तियां न मिलने की शिकायत आई है और प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। पर अभी छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने तदर्थ भुगतान कर दिया है।

(ग) और (घ) घुट पुट शिकायतें आती रहती हैं और उसी समय सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को तत्काल ही भुगतान करने को बाध्य किया जाता है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परिक्षाएं

1472. श्री रिशांग किशिंग : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पिछली परीक्षा में आई०ए०एस०आई०पी०एस०, सी० एस० एस० तथा दूसरी सम्बद्ध सेवाओं में कितने अभ्यर्थी सफल हुए;

(ख) इन परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सफल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी ;

(ग) कितने सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सफल उम्मीदवारों की शीघ्र नियुक्ति की और विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उन उम्मीदवारों की संख्या, जो 1963 में हुई संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिये चुने गये थे, इस प्रकार है :

(i) सामान्य	370
(ii) अनुसूचित जातियां	58
(iii) अनुसूचित आदिम जातियां	29
कुल	457

(ग) विभिन्न सेवाओं के लिये नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है :

(i) सामान्य	292
(ii) अनुसूचित जातियां	40
(iii) अनुसूचित आदिम जातियां	23
कुल	355

शेष अर्ह अभ्यर्थियों की नियुक्ति आबंटन का काम प्रगति पर है।

(घ) यथा शीघ्र सभी उम्मीदवारों को, जिनकी सिफारिश की गई है, नियुक्त आवंटित करने के लिये कार्यवाही की जाती है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् में वैज्ञानिक

1473. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के वरिष्ठ और कनिष्ठ वैज्ञानिक तकनीकी कर्मचारियों को मिला कर उनका केवल एक ही संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो इस नये संवर्ग का वेतनक्रम और ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) वर्तमान शीत लहर के दौरान आश्रय कमी के कारण दिल्ली में कई व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं इस अविलम्बनीव लोक महत्व के विषय की ओर निर्माण तथा आवास मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और निवेदन करती हूं कि वह इस बारे में अेक वक्तव्य दें:—

"वर्तमान शीत लहर के दौरान आश्रय की कमी के कारण दिल्ली में कई व्यक्तियों की मृत्यू का समाचार ।"

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : दिसम्बर 1963 और जनवरी 1964 के दौरान राजधानी में ठंड के फलस्वरुप निराश्रित व्यक्तियों की हुई मौतों के संबंध में फरवरी 1964 में लोक सभा में एक प्रश्न पूछा गया था । इस प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने यह आश्वासन दिया था कि मैं इस विषय पर दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली प्रशासन, और भारत सेवक समाज के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करूंगा और देखूंगा कि इस विषय में क्या किया जा सकता है । उपर्युक्त निकायों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के बाद, इस पूरे प्रश्न की पड़ताल करने के लिए मैंने एक कमेटी बना दी थी । कमेटी ने सिफारिश की थी कि 5000 व्यक्तियों के लिए रैन-बसेरों की व्यवस्था की जाय तथा यदि आवश्यकता मालूम पड़े, तो आगे चल कर और अधिक संख्या के लिए व्यवस्था की जाय ।

दिसम्बर 1963 में दिल्ली नगर निगम और भारत सेवक समाज के द्वारा बनाये गये रैन-बसेरों की कुल संख्या 17 थी जिसमें 2000 व्यक्तियों के लिए स्थान था । तब से दिल्ली नगर निगम द्वारा 11 और रैन-बसेरे बना दिये गये हैं, जिनमें 2657 व्यक्तियों को जगह दी जा सकती है । कुछ एक दिनों में ही तीन और रैन-बसेरे जो कि 860 व्यक्तियों को जगह दे सकते हैं बना दिये जायेंगे । इस प्रकार अब 5517 व्यक्तियों के लिए जगह उपलब्ध हो जायेगी ।

लगभग 10 दिन पूर्व, दिल्ली नगर निगम ने खले में सोने वालों का सर्वेक्षण किया था । यह पाया गया कि पटरी आदि पर लगभग 4100 व्यक्ति सो रहे थे और बाकी के 1100 व्यक्ति रैन-बसेरों में थे । इस प्रकार निराश्रित व्यक्तियों की संख्या 5200 के लगभग थी । इतनी संख्या के लिए जगह देने की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी थी ।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

दिल्ली नगर निगम ने यह बताया था कि 13 और 14 दिसम्बर 1964 की रात को रैन-बसेरों का उपयोग करने वालों की संख्या लगभग 1,500 थी। इस प्रकार जितनी जगह उपलब्ध थी उसके काफ़ी बड़े हिस्से का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। नगरनिगम के अनुसार और दिन भी यह स्थिति थी।

मैंने स्वयं, डिप्टी मेयर के साथ 14 दिसम्बर की रात को कुछ रैन-बसेरे देखे थे। मैंने पाया कि टाउन हॉल के आस पास शहर के बीच में स्थित रैन-बसेरों का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा था। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि जगह तो काफी है लेकिन कम्बलों की कमी है। उन्होंने 5,000 कम्बलों की खरीद के लिए एक लाख रुपये के अनुदान का अनुरोध किया था। इसे मंजूर किया जा चुका है। 500 कम्बलों को खरीदने के लिए प्रधान-मंत्री ने भी 10,000 रुपये का अनुदान दिया है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राजधानी में निराश्रितों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकारने सभी संभव कदम उठाय हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या मैं जान सकती हूं कि सर्वेक्षण करने वाले कर्मचारियों ने इन लोगों को रैन बसेरों में रहने के लिये कहा और उन्ह इस बात से भी सावधान किया कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो शीत से मर जायेंगे? क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि यह रैन-बसेरे किसी केन्द्रीय स्थान पर हैं अथवा इन लोगों के काम करने के स्थानों से बहुत दूर हैं? क्या सवक्षण करने वाले दल ने इस बात का पता भी लगाया है कि यह लोग भिखारी हैं अथवा सामायिक श्रमिक? और क्या यह भी सच है कि ये रैन-बसेरे दूर स्थानोपर होने के कारण यह लोग वहां नहीं जा सकेहैं?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि यह रैन-बसेरे टाउन हाल के निकट ही हैं और वहां स्थान भी उपलब्ध है। आश्रय तो है। दरियों और कम्बलों का प्रबन्ध भी कर दिया गया है। इसके बाबजूद भी यदि लोग वहां न जायें तो उन से ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : पटड़ियों पर रहने वाले इन लोगों का रैन बसेरों में न जाने का एक यह भी कारण है कि इन्हें पता ही नहीं कि रैन-बसेरों कहां कहां बने हैं। एक संस्था बनाई जानी चाहिये जो इन लोगों को वहां रहने के लिये कहे।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं माननीय सदस्या से सहमत नहीं हूं। जहां तक मुझें भारत सेवक समाज और देहली नगर निगम से पता लगा है इन लोगों की सुविधाओं के लिये सभी सम्भव प्रबन्ध किय गये है। इसपर भी यदि वे लोग वहां न जायें तो न ही भारत सेवक समाज.....

श्रीमती सावित्री निगम : परन्तु उन्हे इस बारे में पता कैसे लगे।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जब मैं इन रैन-बसेरों में गया तो मैंने वहां बहुत से लोगों को रहते हुये देखा। उन लोगों से बातचीत करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि वे कई वर्षों से इन रैन-बसेरों का लाभ उठा रहे हैं। मझे यह बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस स्थानों को छोड़ना ही नहीं चाहते जहां वे रह रहे हैं क्योंकि उन्हें यह भय है कि यदि वे उन स्थानों से उठ कर रैन-बसेरों में चले गये तो वहां फिर कोई और लोग आ जायेंगे। टाउन हाल के बरामदे में ही कई वर्षों से एक आदमी बैठता है परन्तु रैन-बसेरे में जगह होने के बावजूद भी वह वहां से नहीं उठता। जहां तक भारत सेवक समाज, नगर निगम और सरकार का सवाल है इस बारे में काफी कुछ किया जा रहा है।

श्री रंगा (चित्तुर) : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या यह उपाय भी किये जा रहे हैं कि पटड़ी पर रहने वाले इन लोगों को बताया जाये कि इन के लिये रैन-बसेरे बनाये गये हैं। यहां नये आदमी भी तो आते हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह एक अच्छा सुझाव है। मैं भारत सेवक समाज और नगर निगम को कहूंगा कि वे नये आदमियों को रैन बसेरों के बारे में सूचना देने का प्रबन्ध करें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री ने कहा कि आश्रयहीन लोगों की संख्या 6,000 है परन्तु **स्टेट्समैन** के अनुसार इन लोगों की संख्या 8,000 है। मैं जान सकता हूं कि इन लोगों को आश्रय दे कर शीत से बचाने के क्या विशेष प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : **स्टेट्समैन** में जो कुछ छपा है मैं उस पर आपत्ति नहीं उठा रहा हूं परन्तु नगर निगम भी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। नगर निगम ने सर्वेक्षण कराया था और जैसा मैंने बताया इन आश्रयहीन व्यक्तियों की संख्या 5,000 है। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि अधिक रैन बसेरों की आवश्यकता समझी गई तो उसे पूरा किया जायेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : रैन बसेरों में जगह होने के बावजूद भी यह लोग बाहर खुले स्थानों में सोते हैं और भारत सेवक समाज आदि के कहने का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या सरकार इन को सज़ा देने के सुझाव पर विचार करेगी ?

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : यह तो बहुत ज्यादती होगी।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : अपने वक्तव्य के दौरान माननीय मंत्री ने कहा कि कम्बल खरीदने के लिये एक लाख रुपया मंजूर किया गया था और प्रधान मंत्री ने भी कुछ रुपया दिया था। तो क्या यह रुपया इन 13 व्यक्तियों की मृत्यू हो जाने के बाद कम्बल खरीदने के लिये मंजूर किया गया अथवा सरकार को यह ज्ञात है कि कम्बल खरीद लिये जाने के बाद इन्हें कालेबाज़ार में बेच दिया गया और ये इन लोगों तक पहुंचे ही नहीं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जब मैं परसों रात इन रैन बसेरों में गया तो मुझे बताया गया कि वहां स्थान तो पर्याप्त है परन्तु कम्बलों का अभाव होने के कारण उन्होंने मुझ से 5,000 कम्बल मांगे। मैंने कल वित्त मंत्री से यह राशि मंजूर करा ली और यह रुपया देहली नगर निगम को दे दिया गया है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपर) : क्या मैं जान सकता हूं कि यह रैन बसेरे नौकरशाही ढंग से चलाये जा रहे हैं और यदि हां, तो क्या भारत सरकार इनका प्रबन्ध भारत सेवक समाज और अन्य दूसरे समाज कल्याण अंगिकरणों को सौप देगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस में कोई नौकरशाही ढंग का प्रश्न नहीं है। यह रैन बसेरे नगर निगम द्वारा बनाये गये हैं और इनमें आने के लिये किसी को इनकार नहीं किया जाता।

Shri Rameshwar Tantia (Sikar) : Is it a fact that the largest number of deaths due to cold wave has taken place in Delhi itself where the Members of Parliament and the Ministers sit in the warm rooms and discuss about the welfare of people.

Shri Mehr Chand Khanna : Deaths are taking place all over India. We are pained to see that. But I can only arrange for night-shelters and blankets etc. I cannot force people to put up there.

श्रीमती यशोदा रेड्डी : स्थान अपर्याप्त होने के अतिरिक्त उन लोगों का इन रैन बसेरों में न आने का क्या यह भी कारण है कि भारत सेवक समाज उनसे 15 पैसे लेता है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि जब योजना आयोग ने 5 लाख रुपये मंजूर किये हैं तो नई दिल्ली में रैन बसेरे क्यों नहीं बनाये गये ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : भारत सेवक समाज को इस के लिये कुछ कर्मचारी रखने पड़ते हैं। इस लिये वह 10 पैसे उन लोगों से लेता है। परन्तु यदि सभा की यह इच्छा है कि उन से कुछ न लिया जाये तो मैं इस बारे में भारत सेवक समाज से बातचीत करूंगा। नई दिल्ली में रैन बसेरों के बारे में मैंने नई दिल्ली नगर पालिका के उप-प्रधान से बातचीत की थी। उनके मत के अनुसार नई दिल्ली में रैन बसेरों की कोई आवश्यकता नहीं है; यदि आवश्यकता पड़ी तो वह इस बारे में कार्यवाही करेगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मौत की यह दुःखद घटनायें प्रतिवर्ष राजधानी में होती रहती हैं। क्या यह सच नही है कि सरकार इन लोगों को कपड़ा और खाद्य उपलब्ध कराने में ही असमर्थ नहीं रही है बल्कि इनको आश्रय तक भी उपलब्ध नहीं करा सकी। इस परिस्थिति में क्या सरकार लोगों में यह विश्वास पैदा कर सकती है कि वह इनकी पाकिस्तान और चीन से रक्षा कर सकती है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के पहले भाग का ही उत्तर दिया जाये।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। मैंने अपने वक्तव्य में कहा हैं कि रैन बसेरे बनाये गये हैं और उनमें काफ़ी स्थान है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Is the Government aware that many shelterless labourers come to Delhi and are engaged on constructing huge buildings. They sleep on pavements during the night. Gandhiji observed that construction of houses in the cities should be stopped and instead they should be constructed in the villages. In the light of increasing population of Delhi, has the Government considered to discontinue further construction of houses in Delhi and instead build them in villages.

Shri Mehr Chand Khanna : If we stop further construction and do not provide shelters, the situation will deteriorate.

श्रीमती सावित्री निगम : एक ग़लतफहमी के कारण भारत सेवक समाज के साथ अन्याय किया गया है। भारत सेवक समाज उन लोगों से 10 पैसे लेता है और उन्हें किताबें, पैंसिल और स्लेट आदि देता है।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कोप्पल) : क्या मैं जान सकता हूं कि इन आश्रयहीन लोगों से नियम के अनुसार तो दस पैसे ही लिये जाते हैं परन्तु चौकीदार आदि उन से 25 या 50 पैसे ले लेते हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये रैन बसेरों का सम्बन्ध है, कोई भी पैसा उन से नहीं लिया जाता। 5,000 विश्राम स्थानों में से 4,500 नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं और 500 भारत सेवक समाज द्वारा। जब मैं इन रैन बसेरों में गया था, मैं ने वहां उन से बातचीत की और मुझे पता लगा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और उनसे कुछ पैसा आदि नहीं लिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य इस विषय में संशय प्रकट कर रहे है। माननीय मंत्री इस मामले की और जांच करें।

Shri Maurya (Aligarh) : Mahatma Gandhi and Shri Jawahar Lal Nehru were always moved to see these people sleeping on the footpaths. And to perpetuate their memory Rajghat and Shantivana are being constructed. May I know whether there is any provision of constructing night shelters at these places? May I also know whether the management of these shelters will not be entrusted to Bharat Sewak Samaj or some other private agency but will be taken over by the Government?

Shri Mehr Chand Khanna : Rajghat and Shantivana are being constructed according to some plan. We do not propose to build any shelters there.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The hon. Minister visited that place on 14th December. May I know whether he made some enquiries regarding the number of persons sleeping on pavemens and whether those who have died had joined the night shelters ?

Shri Mehr Chand Khanna : I did not visit the pavements. I visited the shelters and talked to the people there. Our responsibility is to build shelters for them. We cannot force them to live there.

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम) : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि इस कार्य में भारत सेवक समाज लगभग असफल रहा है। यदि ऐसा है तो सरकार इस काम को किसी दूसरे अभिकरण को क्यों नहीं सौंपती ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यदि मेरे वक्तव्य से माननीय सदस्य के मन में यह धारणा बन गई है, तो मुझे खेद है। भारत सेवक समाज इस क्षेत्र में ठीक कार्य कर रहा है और उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आई है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : May I know whether considering the sad plight of these people. The hon. Minister proposes to take some help from some voluntary organisation of Delhi to solve this problem.

Shri Mehr Chand Khanna: If some voluntary organisation wants to do some work in this field, it should write to me and I shall gladly consider that.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्योंकि यह मनुष्य की जिन्दगी का सवाल है, क्या मैं जान सकती हूं कि इन लोगों को रैन बसेरों से निकाला नहीं जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता। अभी दिल्ली दुग्ध सम्भरण योजना के बारे में भी ध्यान दिलाने वाली सूचना है जिसपर कि 5 बजे चर्चा होगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इस्पात कारखानों को छोड़कर इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड की स्थापना

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : श्री संजीवय्या की ओर से मैं इस्पात कारखानों को छोड़कर इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड की स्थापना के बारे में दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 के सरकारी संकल्प संख्या डब्लू० बी० 4(3)/64 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3632/64]**

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटलपर रखता हूं :—

(1) (एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत (फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, की वर्ष 1963-64 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

[श्री अलगेशन]

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3633/64**]

(2) (एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा, 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1963-64 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3634/64**]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1679 में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) तीसरा संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या 3635/64**]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है :—

"कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1964 को पारित किये गये धन कर संशोधन विधेयक, 1964 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चौवनवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौवनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका का प्रस्तुत किया जाना

[Presentation of Petition.]

महाराष्ट्र के भूमि सम्बन्धी विधान आदिको नगर हवेली पर लागू किये जानें के बारे में याचिका

PETITION RE : EXTENSION OF MAHARASHTRA LAND LAWS ETC. TO NAGAR HAVELI

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : मैं महाराष्ट्र के भूमि सम्बन्धी विधान तथा अन्य विधियोंको नगर हवेली प्रदेश पर लागू किये जाने के बारे में एक याचिका, जिस पर श्री मदालिया नोशा गौंड तथा अन्य व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये है, प्रस्तुत करता हूं ।

रेल्वे बजट पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ बातों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE : ACTION TAKEN ON POINTS MADE BY MEMBERS DURING DISCUSSION ON RAILWAY BUDGET.

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : पिछले रेलवे बजट पर बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने रेल-संचालन के सम्बन्ध में अनेक रचनात्मक सुझाव दिये थे। संसद के दोनों सदनों में जो बहस हुई थी, उसकी प्रतियां बाद में रेलवे बोर्ड द्वारा रेल प्रशासनों को भेजी गयीं और उन्हें हिदायत दी गयी कि सुझावों पर विचार करके जहां जरूरी हो, उपयुक्त कार्रवाई की जाये। कुछ माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि उनके कुछ सुझावों पर रेल प्रशासनों ने कार्रवाई की है या कर रहे हैं।

मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने उस समय यह वचन दिया था कि बहस का उत्तर देते समय माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये जिन मुद्दों का ज़िक्र नहीं किया जा सका, उनके बारे में माननीय सदस्यों को बाद में उत्तर भेज दिया जायेगा।

मेरे विचार से माननीय सदस्यों को अलग-अलग लिखित उत्तर भेजने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होगा कि इस तरह के सभी उत्तरों का एक समेकित सेट बनाकर माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद के पुस्तकालय में रख दिया जाय ताकि जो सूचना दी गयी है वह केवल उन्हीं माननीय सदस्य तक सीमित न रहे जिन्होंने प्रश्न उठाया था, बल्कि अन्य सभी माननीय सदस्य जो इसे देखना चाहें, देख सकें। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि उन सुझावों या विचारों पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है, जो आम किस्म के हैं और जिनके बारे में कोई खास उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इस तरह के सुझाव नोट कर लिये जाते हैं और उन पर यथासम्भव कार्रवाई की जाती है।

इसलिए मैंने इन उत्तरों की दो प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखवा दी हैं ताकि जो माननीय सदस्य उन्हें देखना चाहें, देख लें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): क्या दूसरे मंत्रालय भी इस नई प्रक्रिया को अपनायेंगा? हम कई बार देखते है कि हमारी कई बातों का उत्तर नहीं दिया जाता।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या इसके साथ साथ सदस्यों को पृथक सूचना भी दी जायेगी?

श्री स० का० पाटील : यह पहले से कहीं अच्छी प्रक्रिया है। सदस्यों को पृथक पृथक उत्तर भेजने के बदले सभी उत्तरों को छपवा दिया जाता है और वह प्रकाशन सभा-पटल पर रख दिया जाता है।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded): We receive replies to the points we raise here during our speeches separately. I submit that this practice should be followed by all the Ministries.

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : क्या मैं जान सकता हूं कि जो नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है यह सदस्यों को जो पृथक पृथक उत्तर भेजे जाते हैं उसके अतिरिक्त है अथवा उसके स्थान में?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह प्रक्रिया उसके स्थान में है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—जारी

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मु० क० चागला द्वारा कल प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर, जो इस प्रकार है, आगे चर्चा करेगी :—

"कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा अपनी 25 नवम्बर, 1964 की बैठक में स्वीकार किये गये और 27 नवम्बर, 1964 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में की गई इस सिफारिश से कि यह सभा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में आगे संशोधन करनेवाले बिल सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य मनोनीत किये जायें, अर्थात :—

डा० मा० श्री० अणे, श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी, श्री अ० इ० था० बैरो, श्री भक्त दर्शन, श्री युद्धवीर सिंह चौधरी, डा० पंजाबराव शा० देशमुख, श्री माधवराव लक्ष्मणराव जाधव, श्री गौरी शंकर कक्कड़, श्री हरे कृष्ण मेहताब, श्री महेश दत्त मिश्र, श्रीमती सावित्री निगम, श्री टीकाराम पालीवाल, श्री सरजू पाण्डेय, श्री पुरुषोत्तम र० पटेल, श्री स० ब० पाटिल, श्री नटराज पिल्ले, श्री पोट्टेकाट्टु, श्री दे० द० पूरी, श्री रघुनाथ सिंह, श्रीमती रेणुका राय, श्री बालकृष्ण सिंह, श्री कृष्णपाल सिंह, श्री राजदेव सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद सिंह, श्री सिंहासन सिंह, श्री सुब्बरामन, श्री कमलानाथ तिवारी, महाराजकुमार विजय आनन्द, श्री राम हरख यादव, और श्री राम सेवक यादव"।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded): I rise to support the Banaras Hindu University Bill. The usefulness of the Bill has been made clear in the Statement of Objects and Reasons. The purpose of the Bill is to check the anti-social elements disturbing the education there. Today violence is spreading rapidly amongst the students. Orissa is the living example where even the Government buildings were damaged. With a view to bring an end to this state of affairs such education system should be adopted which conforms to the social needs. In the school hours itself the students should be imparted training in discipline so that when they enter practical life they make use of this training and behave nicely. The other point I would like to touch is that sometime back different views were expressed by different States regarding Devnagari Script. Some efforts should be made to bring all the States together on this question. The word Hindu should no longer be need in the case of Banaras University. This University should be known as Banaras Central University as otherwise it will give an impression that this University is only meant for the Hindus. While appointing the professors etc. the character of the candidates should also be kept in view in addition to their merit.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Mr. Speaker, from the Banaras Hindu University (Amendment) Bill it appears that this University will be too much dependent on the Government. It has been suggested that word 'Hindu' should be deleted from the nomenclature of this University, which in my opinion will not be proper. We should not lose sight of the idea of Pandit Madan Mohan Malviya in putting this word.

In 1957 nepotism became rampant in the Universities and some appointments were made which were not justifiable. In 1958 Mudaliar Committee was appointed to look into the matter. It attended parties given by the professors and gave its report without making enquiries from students and professors. No one is free to express his views and terror prevails in the University.

In the matter of appointment of Vice-Chancellor, empowering the visitor to reject the persons recommended by the committee concerned and call for fresh names, will result in nepotism. The tenure of office of Chancellor and Vice-Chancellor has been fixed between 3 to 5 years but they will continue to hold the office till fresh elections are held. Thus the occupants will manage to continue under the shelter of ministers.

Although there is a provision in the Bill that the court of the University will not deal with the day-to-day working but giving it the power of examining the accounts at their meeting at the end of the year will amount to interference in the day-to-day working of the University. Why the Government is after this University ? Why such amendments are not made in case of other Universities ?

Now people who obtaining M.A. degree from abroad get precedence over the old Ph. Ds. in appointments to the Post of Reader. My point is that old Ph. Ds. should be promoted as Readers on the basis of seniority.

We should have waited for the model Bill. I will request the hon. members of the select committee to take a decision on this Bill after taking into account the provisions of Model University Bill as the report of Mudaliar Committee is one-sided. Everyone should have access to the University and there should not be any passes for visiting.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : I want to submit two points for consideration of the House and the Select Committee. These are two colleges in Banaras, *viz.*, Udaipratap College and Harishchandra College, which have been affiliated to Gorakhpur University much against their will. Taking away of the power of the University to affiliate Colleges by the provisions of this Bill will deprive such colleges the chances of affiliation to this University. The plea advanced by the hon. Minister is that it was the intention of Pt. Madan Mohan Malviya that only the institutions started by him should be affiliated. The other plea of the minister is that the residential character of the University will be spoiled. Had it been his intention it would have certainly been mentioned in Act. The objectives of running this University on old traditions and of elimination of party politics in its working will be achieved with the affiliation of these two colleges since two other Colleges in Banaras outside the campus of the University have been affiliated.

The provision in the Bill regarding settlement of disputes that the decision of the Tribunal of Arbitration shall not be questioned in any court of law is not justifiable. I feel that for bringing to an end the widespread indiscipline amongst students and for building their character we should create confidence in the minds of the people by our conduct and put into practice the assurances given. I hope the joint select committee will give serious thought to my proposals.

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड-उत्तर) : बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय जांच समिति की नियुक्ति के बाद इस विश्वविद्यालय में चल रही दुर्व्यवस्था तथा कुछ अस्वास्थ्यकर लक्षण प्रकाश में आये । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में इन संशोधनों तथा अन्य उपायों का समावेश करने का अभिप्राय इस विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार करना है ।

जांच समिति के प्रतिवेदन से 1958 के संकट के अनेक कारण प्रकट हुये । विश्वविद्यालय का रिहायशी स्वरूप समाप्त हो गया और विद्यार्थी बदनाम व कुख्यात स्थानों पर रह रहे थे । पुलिस अधिकारी के वहां जांच के लिये जाने पर अशिष्ट व्यवहार करते थे । ऐसी स्थिति को देखते हुए राज्य

[डा० सरोजिनी महिषी]

सरकार को इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिये था। जब भी ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है तब यह कहना कि शिक्षा राज्य विषय है केन्द्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्या उचित है। राज्य सरकार कहती हैं कि वे उस समय तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये उनकी सहायता की आवश्यकता न हो। इसका अभिप्राय विद्यार्थियों को ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रोत्साहन देना हुआ उड़ीसा तथा मैसूर में विद्यार्थियों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये थी। जितनी जल्दी ही हो सके प्रशासनिक विलम्ब समाप्त होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूँ कि चारों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये सामान्य कानून होना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि वे देखें कि राज्य विधान मंडलों में भी विशेषज्ञ समिती द्वारा प्रस्तावित आदर्शों के आधार पर विधेयक प्रस्तुत होवें। खंड 34 के उपखंड (5) के सम्बन्ध में मैं कहूंगी कि किसी संस्था तथा कालिज के विरूद्ध कार्यकारी परिषद की कार्यवाही कोर्ट की स्वीकृति के अधीन होनी चाहिये।

खंड 37 के सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूँ कि डी० लिट्० आदि उपाधियों से लोगों को केवल योग्यता के आधार पर विभूषित किया जाना चाहिये। किसी समाचार-पत्र में 31 अगस्त, 1962 के सम्पादकीय लेख में क्षोभ प्रकट किया गया था कि इतने वर्ष बाद भी इसका कोई उपचार नहीं किया गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कार्य के लिये 40 लाख रु० का अनुदान दे रहा है जिसका कोइ लेखा नहीं रखा जाता है। ये उपाधियां प्रदान नहीं की जा रही बल्कि बेची जा रही हैं। इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है।

कई बार शिक्षा मंत्री ने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने को कहा है। गांधीजी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये विद्यार्थियों की शक्ति व सामर्थ्य का असहयोग आन्दोलन में प्रयोग किया। अनेक राजनैतिक दल विद्यार्थियों की शक्ति का उपयोग कर रही हैं। जांच आयोग के प्रतिवेदन में एक प्राध्यापक द्वारा एक विद्यार्थी के रेलवे पास के दुरुपयोग का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में अच्छा होगा कि अध्यापकों की उचित भर्ती हो और विद्यार्थियों में व्यवस्थित रूप से अनुशासन बनाये रखा जाय।

इस विश्वविद्यालय में हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के अध्ययन का प्रबन्ध किया जा रहा है। इनका वर्गीकरण वैदिक तथा वैदिक से भिन्न दो वर्गों में करना चाहिये। मैं इस राय से सहमत हूँ कि बनारस विश्वविद्यालय के नाम से हिन्दू तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से मुस्लिम शब्द जितनी जल्दी हटा दिये जाये उतना ही अच्छा है। देश की वर्तमान परिस्थितियों में इससे भ्रान्ति उत्पन्न होती है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इसके कुछ खंडों के द्वारा एक विश्वविद्यालय के लोकतंत्रीय अधिकार को छीना जा रहा है। इतनी जल्दी इस विधान के रखने की कोइ आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो बातें इस विश्वविद्यालय में हो रही वे अन्य विश्वविद्यालयों में और विशेषकर लखनऊ विश्वविद्यालय व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी हो रही हैं। कुछ प्रोफेसरों को शक्तिशाली उप-कुलपतियों ने सेवा-मुक्त कर दिया था और इनमें से हर एक को उच्च-न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पुर्नियुक्त करना पड़ा।

उप-कुलपति को सब शक्तियां दे दी गई हैं। विधेयक में कहा गया है कि कोर्ट सर्वोच्च प्राधिकरण बन जायेगा। कोर्ट की बैठक वर्ष में एक बार होगी जिसमें प्रक्रिया तथा नीति निर्धारित होगी। उप-कुलपति को व्यापक शक्तियां दी गई हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। इस विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके राजनैतिक पहलू व इसके अध्यापकों और विद्यार्थियों को 1942 के

स्वतंत्रता आन्दोलन में बलिदान आदि पर विचार किये बिना ही यह विधेयक रखा गया है। जैसा कि डा० लोहिया ने कहा मंत्री महोदय को इस बलिदान का ज्ञान नहीं है। इस विधेयक को वास्तव में परिचालित करना चाहिये था।

गुट-बन्दी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। गुट-बन्दी मंत्री मंडल में है और सभी विश्वविद्यालयों में है। केवल अन्तर इतना है कि अन्य विश्वविद्यालयों की गुट-बन्दी अधिक प्रकाश में नहीं आई है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संग्राम का आधार था। अब इस विधेयक द्वारा इसके लोकतन्त्रात्मक अधिकारों में कमी की जा रही है। इससे विश्वविद्यालय की समस्या हल नहीं हो सकेगी।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण जीवन के प्रति उनका भय है। हमें राष्ट्र के चरित्र का विकास करना है। हमारी राष्ट्रीय आय व उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन राष्ट्र के चरित्र का ह्रास हुआ है। अध्यापक तथा विद्यार्थी इस गाड़ी के दो पहिये हैं जिन्हें एक लक्ष्य को प्राप्त करना है जिससे देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker, I appeal to the hon. Minister to enforce discipline in the Banaras Hindu University on the lines of Roorkee University where it is at its best in the world.

The object for which Pt. Madan Mohan Malaviya founded this University is yet to be fulfilled. The medium of instruction is English even to the students of M. A. (Sanskrit). It is not proper. It is also responsible for indiscipline amongst students. To create discipline amongst students emphasis should be laid on moral training and religious education. Another reason is that the students coming out of the universities remain unemployed for a long. We must see that they get suitable jobs immediately after completion of their studies. The teachers and students should aim at building of healthy character, mind and body.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): Mr. Speaker, Sir, I support the Banaras Hindu University (Amendment) Bill. Some Members have pleaded that the word "Hindu" should be deleted from the name of the University. But I think the name does not have much significance. There are some institutions which bear names denoting Secular aspect but what actually happens in those institutions Smacks of communalism. What therefore, matters is not the name of an institution but what goes on inside it.

I submit that if the Banaras Hindu University emphasises important aspects of our religion, rites, philosophy, culture and principles of Hindu Dharma it would be in the interest of the nation. Both Hindu and Mohammadan cultures and philosophy, if taught in true spirit, can never give Communal tinge and cannot create an atmosphere which may be detrimental to the best interests of the Country.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]

The word "Secularism" is also construed wrongly in our country. Secularism does not allow one religion to criticise or interfere with other religion whereby all communities may live in amity. It would have, therefore, a right approach which is a fine instrument for the national integration.

[Shri J. P. Jyotishi]

There has also been a strong criticism with regard to the Constitution and the powers of the 'Court'. It has been further added that the appointment of the Vice-Chancellors and Pro-Vice-Chancellors contains defective procedure, system and convention. But what I feel is that the Universities and other institutions also should help create a healthy atmosphere through education both in the interest of students and the nation. They should give top priority to those factors which promote disciplined moral and spiritual values of education.

I hope that the Select Committee will consider all these factors and bring out a Guiding Model Bill.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): सरकार का इरादा विश्वविद्यालय की स्वायत्तत्ता में किसी प्रकार हस्तक्षेप करने का नहीं है, न ही हम उन महान उद्देश्यों से विमुख होना चाहते हैं जिन को ले कर पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था ।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि शिक्षा सम्बन्धी स्वतंत्रता के मामले में विश्वविद्यालय स्वायत्तशाली संस्था के रूप में कार्य करे ।

किसी विश्वविद्यालय के प्रशासन में प्रजातंत्रकी राजनीतिक धारणायें लागू करना बहुत कठिन है । हमारे विश्वविद्यालयों में कुछ संस्थाएं और प्राधिकरण होते हैं । उनके लिये लोगों को विशेष तरीके से निर्वाचित करना पड़ता है, हमें अपने प्रोफेसरों, फैकल्टि के डीनों तथा अन्य बाहरी एजन्सियों के प्रतिनिधि रखने पड़ते हैं । हम वयस्क मतदान प्रणाली अथवा प्रजातंत्रीय प्रक्रिया के द्वारा इन संस्थाओं के लिये लोगों को निर्वाचित नहीं कर सकते हैं ।

सरकार उस प्रत्येक बात का विरोध करती है जिसमें साम्प्रदायिकता की भावना हो अथवा जो हमारे देश की किसी संस्था में सांप्रदायिकता पैदा करते हैं । सरकार ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय से "हिन्दू" शब्द हटाने के सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और वह इस परिणाम पर पहुंची है कि ऐसा करने से अनावश्यक विवाद हो जायेगा । बनारस विश्वविद्यालय अथवा अलीगढ़ विश्वविद्यालय अथवा कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय अखिल भारतीय संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगे । यदि संयुक्त समिती में बहुमत "हिन्दू" शब्द को हटाने के पक्ष में होगा तो सरकार इस संशोधन का समर्थन नहीं करेगी । अथवा यदि सभा के बहुमत द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम से "हिन्दू" शब्द हटाये जाने का निर्णय किया जायेगा तो सरकार तुरन्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से "मुस्लिम" शब्द हटाने के लिये सभा में एक विधेयक लायेगी । किन्तु यह बात इस सभा तथा राज्य सभा के बहुमत पर निर्भर है यह बात समझ लेनी चाहिये कि महत्व इस बात का होता है कि कोई संस्था किस भावना से चलायी गई है और उसमें वास्तव में क्या होता है ।

नामों का तब तक कोई विशेष महत्व नहीं होता जब तक किसी नाम विशेष से देश का वातावरण दूषित न होने पाये । इसलिये, यदि विश्वविद्यालयों में हमारी संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर बल दिया जाता है, जो हिन्दी संस्कृति अथवा संस्कृत संस्कृति है, तो यह बात उचित ही है ।

बनारस विश्वविद्यालय अथवा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त करते समय सरकार किसी साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित नहीं होती । सरकार को किसी ऐसे नियम का, विशेषकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को किसी ऐसे नियम का पता नहीं है जिसके अन्तर्गत एक विशेष सम्प्रदाय के व्यक्ति को ही उपकुलपति नियुक्त किया जाना चाहिये । प्रस्तावित संयुक्त प्रवर समिति विधेयक खण्ड 5 को इस प्रयोजनार्थ पुनः लिखने की बात पर विचार कर सकती है कि क्या इसमें राष्ट्रीय एकता का उल्लेख किया गया है ।

सरकार का इरादा बनारस विश्वविद्यालय सम्बन्धी एक स्थायी विधान प्रस्तुत करने का है । सरकार ने विश्वविद्यालय नमूना विधेयक समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने का प्रयत्न किया है किन्तु उसके तैयार

होने में काफी विलम्ब हो गया है। सरकार निस्संदेह उसे समिति के दृष्टिकोण को समझती है। वर्तमान विधेयक और उस अन्तिम प्रतिवेदन में या तो बिल्कुल भी कोई अन्तर न होने की संभावना है अथवा हो सकता है कि थोड़ासा अन्तर हो। प्रतिवेदन शीघ्रता से तैयार किया जा रहा है और उसे प्रस्तावित संयुक्त प्रवर समिति के सामने रख दिया जायेगा।

हमारे देश में 61 विश्वविद्यालय हैं जो स्वायत्त है और जिस पर केन्द्र का कोई नियंत्रण नहीं है, विश्वविद्यालय राज्य का विषय है। इसलिये उन विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्तियों में केन्द्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

जहां तक कार्यकारी परिषद् तथा कोर्ट के गठन का सम्बन्ध है इसे यथा संभव प्रतिनिधि स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। पिछले अवसरों पर कोर्ट ही के कारण कठिनाई पैदा हुई थी। सरकार ने यद्यपि कोर्ट को सर्वोच्च न्यायाधिकरण माना है तथापि इसकी शक्तियां स्पष्टतः निर्धारित कर दी गई हैं। सरकार ने आवर्तन (रोटेशन) के सिद्धान्त को यथासंभव स्वीकार कर लिया है, जहां कहीं ऐसा संभव नहीं है, केवल वहीं पर निर्वाचनों का सिद्धान्त लागू होता है। चुनाव के कारण ही अध्यापक राजनीतिज्ञों का वर्ग पनप रहा है।

सरकार इस बात से पूर्णतः सहमत है कि विश्वविद्यालय को सम्मानसूचक डाक्टर की महान उपाधि बहुत ही कम देनी चाहियें। और इस मामले में पहिले बहुत ही सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

गोरखपुर के कालेजों के बारे में यह बात याद रखने की है कि बनारस विश्वविद्यालय सम्बद्ध करने वाला विश्वविद्यालय नहीं अपितु रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय है। सरकार यदि उन कालेजों को गोरखपुर विश्वविद्यालय से अलग करके बनारस विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करती है तो अन्य कालेजों के सम्बद्ध किये जाने के लिये भी द्वार खुल जायेंगे। सरकार वैसा करना नहीं चाहती।

प्रत्युप कुलपति (प्रोवाइसचांसलर) इसलिये नियुक्त किया जायेगा कि जब उपकुलपति अस्वस्थ होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अनुपस्थित हो और अपने पद पर की शक्तियों का प्रयोग न कर सकता हो तथा अपने कर्तव्य को पालन न कर सकता हो तो इन सभी मामलों में वह उपकुलपति की सहायता कर सके।

विजीटर जो कि राष्ट्रपति होते हैं, विश्वविद्यालय के कामों में बहुत कम दखल देते हैं परन्तु जब वह दखल देते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है।

सरकार इस बात को नहीं मानती कि उसने विधेयक में नौकरशाही को स्थान दिया है।

जो अधिकारी सद्भाव से काम करते हैं उन्हें प्रत्येक अधिनियम में मुक्ति दी जाती है। अन्यथा सद्भाव से काम करना ही असंभव हो जायेगा। यदि कोई व्यक्ति गबन करता है तो स्पष्टतया उसमें सद्भाव नहीं होता। "दुर्भाव" से किये गये किसी भी काम को संरक्षण देने के का विधेयक का इरादा नहीं है।

जहां तक सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य-संचालन की समीक्षा के लिये एक समीक्षा समिति स्थापित करने का सुझाव का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ही नहीं अपितु अन्य विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों की समीक्षा के लिये समीक्षा समितियां बराबर नियुक्त करता रहता है। इसलिये उन विश्वविद्यालयों पर बराबर नियंत्रण रहता है और उनका निरीक्षण किया जाता है।

श्री यशपाल सिंह : एम० ए० में संस्कृत की शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से क्यों दी जाती है?

श्री म० क० चागला : मैं इस मामले की अच्छी तरह जांच करूंगा कि संस्कृत अंग्रेजी के माध्यम से क्यों पढ़ाई जाती है ?

श्री गुप्ता ने पूछा है कि उपकुलपति का चुनाव करने वाले सदस्य कौन होंगे। इस मामले में स्थिति स्पष्ट और सरल है। विधेयक के खंड 7घ में उपबन्ध किया गया है कि तीन व्यक्तियों की एक समिति होगी जिसके दो सदस्य कार्यकारी परिषद् द्वारा तथा एक सदस्य 'विजिटर' नियुक्त किया जायेगा। यह समिति 'विजिटर' को तीन नामों की एक तालिका प्रस्तुत करेगी। इस तालिका में से एक व्यक्ति को विजिटर द्वारा उपकुलपति के रूप में नियुक्त करने की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को कायम रखने और योग्यतम व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने के हमारे उद्देश्य के लिये हमने केवल एक यही तरीका उपयुक्त समझा है। यह तरीका अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत उपयोगी साबित हुआ है।

एक माननीय सदस्य ने इस पर आपत्ति उठाई है कि विधेयक में विश्वविद्यालय को अपनी अस्तियों पर ऋण लेने की शक्ति क्यों दी जा रही है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि यह केवल एक सक्षम बनाने वाला उपबन्ध है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय को कभी भी इस शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तथापि यदि कभी कोई अवसर आ जाये यह उपबन्ध काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

माननीय सदस्य डा० लोहीया का यह कहना गलत है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कोई अनुसन्धान कार्य नहीं होता और वह गणित के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बताना उचित समझता हूं कि श्री नारिलीकर, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, और जिनके द्वारा भौतिकशास्त्र, गणित तथा खगोलशास्त्र में हाल में किये गये अनुसन्धान ने बड़ी सनसनी पैदा कर दी है, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। अतः यह कहना निराधार है कि हमारे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा विद्या विशारद् पैदा नहीं कर रहे हैं।

श्री विद्यालंकार के इस कथन से मैं सहमत हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दू धर्म के साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जानी चाहिये। मैं सभा की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय की भांति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कई भारतीय भाषायें पढ़ाई जाती हैं।

यह खेद की बात है कि आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है। मैं समझता हूं कि असंतोष की भावना इस भावना से कि कोई व्यक्ति समाज का सुधार करने के लिये कुछ नहीं कर सकता है, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता पैदा हो जाती है। हमें अपने विद्यार्थियों में अनुशासन में रहने की भावना पैदा करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। विश्वविद्यालयों में उपकुलपति से नीचे तक के अधिकारी ऐसे होने चाहिये जिनका विद्यार्थी आदर करें। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का एक मुख्य कारण यह है कि विद्यार्थियों के पास आराम के लिये बहुत अधिक समय रहता है। अतः इस समय का उपयोग विद्यार्थियों को कोई रचनात्मक कार्य कर के करना चाहिये। आज देश को गांवों में सफाई, सड़क निर्माण आदि बहुत से सामाजिक कार्यों के लिये स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है। यदि ये विद्यार्थी स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं के रूप में कार्य करें तो देश के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और इसके साथ साथ उनमें अनुशासनहीनता भी दूर हो जायेगी।

मैं सभा की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हाल में हुआ युवक समारोह काफी सफल रहा है। युवक समारोहों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी आपस में घुलमिल कर बातचीत, वादविवादों तथा चर्चाओं द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे वे समझते हैं कि हम सब एक देश के नागरिक हैं। ये देश में एकता स्थापित करने के लिये काफी सहायक होते हैं।

जहां तक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों, प्राध्यापकों आदि की नियुक्ति का सम्बन्ध है, किसी विश्वविद्यालय में कोई भी प्राफेसर, प्राध्यापक, अथवा रीडर उचित ढंग से बनाई गई चयन समिति के बिना नियुक्त नहीं किया जाता। यह सरकार की जानकारी में कोई ऐसी बात आती है कि जिसमें कोई अनुचित काम हुआ है तो वह उचित कार्यवाही कर सकती है। यदि 'विजिटर' की राय में कोई नियुक्ति अनुचित ढंग से हुई है तो उसे उस नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार दिया गया है।

मैं समझता हूं कि मैंने सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रायः सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी 25 नवम्बर, 1964 की बैठक में स्वीकार किये गये और 27 नवम्बर, 1964 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में की गई इस सिफारिश से कि यह सभा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1915 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है, और संकल्प करती है कि उक्त सयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक सभा के इन 30 सदस्यों को मनोनीत किया जाये, अर्थात् :—

डा० मा० श्री अणे, श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी, श्री अ० इ० था० बैरो, श्री भक्त दर्शन, श्री युद्धवीर सिंह चौधरी, डा० पंजाबराव शा० देखमुख, श्री माधवराव लक्ष्मणराव जाधव, श्री गौरी शंकर कक्कड़, श्री हरे कृष्ण मेहताब, श्री महेशदत्त मिश्र, श्रीमती सावित्री निगम, श्री टीकाराम पालीवाल, श्री सरजू पाण्डेय, श्री पुरुषोत्तम र० पटेल, श्री स० ब० पाटिल, श्री नटराज पिल्ले, श्री पोट्टेकाट्ट, श्री दे० द० पुरी, श्री रघुनाथ सिंह, श्रीमती रेणुका राय, श्री बालकृष्ण सिंह, श्री कृष्ण पाल सिंह, श्री राजदेव सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद सिंह, श्री सिंहासन सिंह, श्री सुब्बारामन, श्री कमलानाथ तिवारी, महाराजकुमार विजयआनन्द, श्री राम हरख यादव, और श्री राम सेवक यादव।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) 1964-65

DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANT (RAILWAYS) 1964-65

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1964–65 के लिये रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में मांग सख्या 2 (सर्वेक्षण) के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करता हूं। मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर दूं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया अनुपूरक अनुदान की मांग को प्रस्तुत करते समय भाषण नहीं दिये जाते। वह अन्त में उत्तर दे सकते हैं।

वर्ष 1964–65 के लिये रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदान की निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
2	विविध रेलवे व्यय	10,000

श्री हिम्मतसिंहजी (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदा इस बात जोर देता रहा हूं कि अल्पविकसित क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह सराहनीय बात है कि आज अल्पविकसित क्षेत्रों में जहां विस्थापितों को बसाया जा रहा है, रेलवे लाइन बनाने के धन की मांग की जा रही है ताकि इन क्षेत्रों को देश के अन्य भागों से मिलाया जा सके।

कच्छ बहुत पिछड़ा क्षेत्र है वहां रेलवे परिवहन की कमी है। अत: कच्छ के स्थानों को बम्बई से मिलाने वाली एक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये। कांडला अथवा भुज से माण्डवी तक जो एक छोटा पत्तन है, एक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये। कांडला का विकास किया जा रहा है यदि इसके साथ कच्छ जसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में छोटे पत्तनों का भी विकास किया जाय तो यह एक सराहनीय बात होगी।

जरवाऊ से मुद्रा तक सारे समुद्र तट नमक बनाने के कारखाने हैं। इस तटीय क्षेत्र में कपास तथा मूंगफली के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। अत: उस क्षेत्र में रेलवे लाइन बनाना जनता तथा छोटे और बड़े उद्योगों के लिये काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

मंत्रालय कोंडल कुड—विरामगांव लाइन के काम जारी रखने के निर्णय के लिये बधाई का पात्र है।

इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध है कि रेलों में वर्तमान सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन-चार वर्ष पहले आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कोठागुडम से भद्राचलम होती हुई और वहां से एक लाइन बेलाडिल्ला को मिलाती हुई विशाखापटनम तक एक बड़ी लाइन बनाने का सुझाव दिया था। आशा है बेलाडिल्ला और कोठागुडम के बीच एक स्थायी रेलवे लाइन बनाई जायेगी। इस क्षेत्र में परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के दो महत्व है वह क्षेत्र न केवल रेल अथवा सड़क से पृथक है अपितु जहां तक मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के औद्योगिक तथा आर्थिक महत्व का सम्बन्ध है इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। भद्राचलम में हिन्दुओं का एक मंदिर भी है जहां लाखों यात्री दर्शन करने के लिये आते हैं किन्तु वहां पर पुल की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को नावों द्वारा गोदावरी नदी को पार करना पड़ता है। प्रतिवर्ष कई नाव दुर्घटनाओं के समाचार मिलते हैं। अत: आशा है कि भद्राचलम के पास गोदावरी नदी पर एक पुल बनाया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा जिले को कुड़प्पा जिले से मिलाने वाली एक बड़ी रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह रेलवे लाइन नण्डयाल से पिलेरू पक्काला मिडुकर और कड़प्पा होती हुई कातपाडी तक जायेगी। अब चूंकि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है अत: इस विशिष्ट लाइन की जांच करने के लिय मंत्रालय द्वारा एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Mr. Deputy Speaker, Sir, there are several salt areas in Rajasthan but lack of means of transport, the salt traders are experiencing great difficulty. Therefore a survey should be made for the construction of a railway line from Kotah—Chittorgarh and another from Kotah to Ajmer.

Rajasthan is a backward State in the matter of rail communication. Therefore more attention should be paid to this State.

The Railway Ministry should see that the number of seats should be increased in the air-conditioned train running through Rajasthan.

Rajasthan is rich in minerals like copper and iron. Therefore I once again stress the need of developing of means of Rail Communication in this State.

श्री बसुमतारी (गोलपाड़ा) : आसाम राज्य चीन, बर्मा तथा पाकीस्तान आदि विदेशी देशो से घिरा हुआ है। अत: सुरक्षा की दृष्टि से संचार के साधनों द्वारा उसका देश के अन्य भागों के साथ निकट का सम्बन्ध रहना चाहिए। यह सराहनीय बात है कि जोगीछोपा से बौगैगांव तक रेलवे लाइन के निर्माण का काम आरम्भ किया गया है किन्तु बौगैगांव से गौहाटी तक की लाइन को छोड़ दिया गया है। इससे आसाम की जनता यह तात्पर्य निकाल रही है कि इस लाइन को सदा के लिये ही छोड़ दिया गया है।

गारो की पहाड़ियों में खनिज पदार्थ मौजूद हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि जोगीधोता से गौहाटी तक और दोलगाड़ा से गारो की पहाड़ियों तक एक रेलवे लाइन होनी चाहिए।

यह सराहनीय बात है कि सुरक्षा की दृष्टि से रंगपाड़ा से उत्तर लखीमपूर रेलवे लाइन बनाई गई है। इस लाइन से नेफा क्षेत्र को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। हम पिछले अनुभवों से काफी सीख चुके हैं। आसाम की रेलवे लाइनों के बारे में अब और उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अत: सरकार को इस बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए और सनिक महत्व की दृष्टि से आसाम राज्य का विकास करना चाहिए।

Shri Yashpal Sing (Kairana) : I rise to support the Demands for Supplementary Grants. The Government should make it clear whether the proposed railway line will be broad gauge or metre gauge line. Most of the railway stations are not provided with passenger amenities. Therefore the Government should ensure that along with the constructions of railway line other amenities for passengers such as sheds etc. are also provided at the railway stations.

Etah-Barhan railway line should be connected with Kasganj. It will add to the railway earning and will be more convenient for the passengers. Paradip port should also be connected with the proposed railway line *via* Dandakaranya so that exportable iron ore can easily be carried up to the port.

There are certain instances where trains do not stop at important stations while halts are provided at unimportant places. The Railway administration should remove this anomaly.

Dandakaranya should be connected with the rest of the country by railway. The work should be expedited.

Shri N. P. Yadab (Sitamarhi) : I would like to draw the attention of the Ministry of Railways towards the area of North Bihar. The survey for the laying of a railway line between Sitamarhi and Muzzffarpur was conducted as back as 1928. But the railway line has not been constructed so far. No progress has also been made in regard to the construction of the railway line between Sitamarhi and Sanwarsa for which a survey was made in 1948. Sanwarsa should also be connected by rail with Muzzffarpur.

It takes nearly 16 hours for the people of north Bihar to reach Patna from Sitamarhi, a distance of only about 100 miles. Government should look into the matter.

An express train should be run between Naharkatiaganj and Pahlezaghat. A metre gauge express train should be provided between Naharkatiyaganj and Samastipur to enable the passengers bound for Delhi side to catch Assam Mail which has been introduced with effect from 1st October, 1964.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह सराहहीन बात है कि सरकार इस नई रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण कर रही है। इस क्षेत्र का अवश्य विकास किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा एक अनुरोध है कि उस क्षेत्र में एक और लाइन बन जाने से दक्षिण तथा मध्य रेलवे के विभाजन की तथा उस क्षेत्र में एक नया जोन बनाने की आवश्यकता बढ़ गई है। दुर्भाग्य की बात है कि यह मामला पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि यह नया जोन कब बनाया जायेगा। इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। अत: नया जोन बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण तथा मध्य रेलवे के कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में अनाज प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: मेरा अनुरोध है कि उनके लिये विभागीय अनाज की दुकानें खोली जानी चाहिए।

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal) : The present Supplementary Demands for Grants are for surveying Bailadilla with a view to exploit the iron ore deposits there. I do not object to it. But there are certain other places having greater percentage and stock of iron ore. The richest iron ore area in the world is Bellary and Goa districts. Along with Bailadilla among all India centres, the Bellary district, Hospet and Sardur are the richest iron ore areas. But so far nothing has been done to develop these areas. It is really sad that we had been requesting year after year at the time of laying the annual budget to convert the Hospot, Sardur, Harihar, Hubli, Darwar and Goa line into broadgauge to develop this area, but with no result. The Ministers visited that area and gave assurances. Proposals for survey were made, funds were also allocated, but nothing has so far been done. I therefore appeal to you to take speedy action to implement the proposals.

We are committed to the export of 25 million tons of iron ore. Until and unless this area is developed we cannot fulfill our commitment nor shall we be able to earn the foreign exchange to the targeted degree. The final survey of Hospet Sardur area has been conducted after 11 years to lay a broadgauge line and that too has been laid up to Hagari Station.

The Railway employees are experiencing difficulty in regard to foodgrains. Steps should be taken to remove their difficulty.

The employees nearing retirement and who want to opt for retirement should be permitted to do so. This will involve an expenditure of about 1 crore of rupees. The persons working in survey department and Railways should be treated with sympathy.

So far as the question of Divisions is concerned I agree with Shri Nambiyar. I have no objection if Divisions are set up in every State, but certainly, I want that Hubli Division should not be taken away.

श्री म०प० स्वामी (टंकासी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे के सर्वेक्षण कार्य के लिये मांगी जा रही अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। पिछले पचपन वर्षों से तिरुनलवेली से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन बनाये जाने की मांग की जा रही है क्योंकि इसके बिना इन क्षेत्रों का सम्बन्ध अन्य भागों के साथ नहीं रह सकता है। सरकार को इस मांग पर विचार करके तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

हम यह भी चाहते हैं कम से कम चौथी पंचवर्षीय योजना में एक बनारस से कन्याकुमारी तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाये।

नये आयुध कारखानों की स्थापना के बारे में दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF NEW ORDNANCE FACTORIES

श्री रंगा (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा नये आयुध कारखानों की स्थापना के बारे में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री द्वारा 20 नवम्बर, 1964 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

मैं देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि कि जिस प्रकार इस समय देश में खाद्यान्नों के अभाव के कारण गम्भीर संकट पदा हो गया है उसी प्रकार इस बात की आशंका भी है कि देश किसी भी समय हथियारों की कमी के कारण संकट की स्थिति में फंस जायेगा। यह सर्वविदित ही है कि भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी की उपेक्षा की थी उसका परिणाम हम चीनी आक्रमण के स ! मुंह की खाकर देख चुके हैं। हम नहीं चाहते हैं इस प्रकार की स्थिति पुनरावृत्ति हो। अत: सरकार को देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता को देखते हुए आयुध कारखानों में सैनिक साज सामान बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

सरकार ने रेडार उपकरण बनाने का निर्णय तो कर लिया है किन्तु यह 1965 के मध्य से पहले चालू नहीं होगा।

इस समय देश की सुरक्षा की दृष्टि से हमें ट्रान्समीटरों की अत्यन्त आवश्यकता है। किन्तु खेद की बात है कि हमारे पास इसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कुछ समय पूर्व एक ट्रान्समीटर लगाने के लिये अमरीका के साथ एक समझौता किया गया था किन्तु बाद में यह समझौता रद्द कर दिया गया। अब सरकार का कहना है कि वह अन्य किसी देश से ट्रान्समीटर लगाने का विचार कर रही है। किन्तु समझ में नहीं आता कि सरकार कब तक इसकी व्यवस्था करेगी।

प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सेना में काफी संख्या में भर्ती की जायेगी और छ: पहाड़ी डिविजन बनाये जायेंगे। किन्तु अभी तक केवल तीन डिवीजन बने हैं। समझ मे नहीं आता कि अन्य तीन डिवीजन कब तक बनाये जायेंगे।

सब से अधिक खेद की बात यह कि सरकार ने देश में छ: आयुध कारखाने स्थापित करने का बचन दिया था किन्तु बाद में हमें बताया गया इन प्रस्तावित छ: कारखानों में से दो कारखाने स्थापित नहीं किये जायेंगे। मैं समझता हुं कि सरकार ने इन कारखानों को स्थापित न करने के लिये जो कारण बताये हैं वे सन्तोषजनक नहीं है।

सरकार एक शक्तिशाली विस्फोट कारखाना तथा प्रोपेलट कारखाना स्थापित करना चाहती थी। किन्तु बाद में ये कारखाने स्थापित करने का विचार छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं कि इन कारखानों को स्थापित न करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार बताये कि इन कारखानों स्थापित करने में क्या कठिनाइयां हैं।

यह विचित्र बात है कि प्रस्तावित अन्य चार आयुध कारखानों में से तीन कारखाने एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित किये जाने की आशा है हो सकता है महाराष्ट्र में स्थापित होंगे। केवल एक कारखाना तिरुचिरापल्लि में स्थापित किये जाने की आशा है। मंत्री महोदय को इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए। देश के हित को देखते हुए ये कारखाने देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित किये जाने चाहिए। जिस क्षेत्र में इस समय तीन कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है वहां पहले ही पर्याप्त संख्या में कारखाने मौजूद हैं। राजनीतिक प्रभाव के कारण इस प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है।

[श्री रंगा]

आयुध कारखाने देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये जाने चाहिए, जिस क्षेत्र में तीन कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है वहां पहिले ही पर्याप्त संख्या में कारखाने मौजूद हैं।

अन्य कारखाने जैसे कि अम्बाझारी में इंजिनिअरिंग कारखाना, चन्दा में फिलिंग फैक्टरी तथा तिरुचिरापल्ली में छोटे हाथियारों का कारखाना भी दो वर्ष बाद स्थापित किये जायेंगे। आयुध कारखानों के विकास में यह विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? जब चीन से खतरा बढ़ रहा है तो ऐसा विलम्ब नहीं होना चाहिये। छः माउन्टेन डिवीजनों में से केवल तीन डिवीजन बनाये जा रहे हैं और छः आयुध कारखानों में से केवल एक कारखाने में उत्पादन कार्य चल रहा है। सरकार को इस कार्यक्रम के बारे में कम से कम राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद की मंत्रणा अवश्य लेनी चाहिए। हलांकि इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में इसमें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है।

बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त न होने का यह कारण है कि सरकार की विदेशी नीति त्रुटिपूर्ण है। सरकार हमेशा यह कहती रहती है कि हमारी तटस्थता तथा गुटों से अलग रहने वाली नीति है, आयुध कारखाने स्थापित करने में इसी कारण बाधा पैदा हो रही है और हमें विदेशों से पर्याप्त सामान नहीं मिल रहा है।

यह खेद का विषय है कि रुस, ब्रिटेन तथा अमेरिका को तो हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी गुप्त बातों की जानकारी है किन्तु इस मामले में संसद को जानकारी नहीं दी जाती। क्या ऐसी परिस्थितियों में चीन तथा पाकिस्तान के लिए उन गुप्त बातों की जानकारी प्राप्त कर लेना सम्भव नहीं है ?

चीन ने अणु विस्फोट करके अपनी धाक जमा ली है और हमारा सम्मान कम हो गया है। हम इस कमी को अपनी सेनाओं को सुसज्जित करके पूरा कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि हम अपने आयुध कारखानों का आयोजन इस प्रकार करें कि हमारे सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक ढंग के शस्त्र तथा अन्य प्रकार के सामान बराबर और सक्रिय ढंग से और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह कहना गलत है कि गुटों से अलग रहने की हमारी नीति के कारण संसार में हमारा कोई मित्र नहीं रहा है। सचाई तो यह है कि इस नीति पर चलने के कारण ही संसार में हमारे बहुत से मित्र हैं।

जहां तक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद के साथ परामर्श करने का सम्बन्ध है, वह बात विशिष्ट समय के लिये थी और वह समय बीत चुका है।

आयुध कारखानों के स्थान का निर्णय, बहुत सी बातों को जिनमें मामले की तकनीकी एक आर्थिक पहलू शामिल है, ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि कारखाने देश-भर में फैले हुये हैं किन्तु ऐसा प्रान्तीय भावना के स्वप्नों को पूरा करने के लिये नहीं किया गया है, अपितु इस दृष्टि से किया गया है कि स्थान विशेष पर उत्पादन की मात्रा अधिक होती है।

चीनी विस्फोट के सम्बन्ध में यह है कि यद्यपि बम का विस्फोट मान का विषय है, किन्तु बम का अपना कोई महत्व नहीं है। अधिक महत्व की बात यह है कि कुशल वितरण (डेलीवरी सिस्टम) प्रणाली हो। जानकार व्यक्तियों के अनुसार चीनी लोगों को उस प्रकार की वितरण प्रणाली बनाने में बहुत कम समय लगेगा।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]

[**Dr. Sarojini Mahishi in the Chair.**]

औद्योगिक उत्पादन की स्थिति बड़ी उत्साहवर्धक है। हमारे कारखानों में हमारी प्रतिरक्षा संबन्धी सभी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है और हमारी तैयारी इस बारे में दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है।

पहिले स्थल सेना सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर अधिक बल दिया जाता था, किन्तु अब हम अपनी नौ सेना एवं वायुसेना सम्बन्धी आवश्यकताओं के प्रति भी पूर्ण जागरुक हैं। प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान तैयार करने वाले कारखाने न केवल गति ही बनाये हुये हैं, अपितु उनकी गति भी बढ़ रही है। यह दावा किया जा सकता है कि यदि अब हमें चीन की चुनौती का सामना करना पड़े, तो हम उसका केवल डठकर ही मुकाबला नहीं करेंगे अपितु हम चीनियों को बुरी तरह पराजित करे देंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक ओर तो चीन तिब्बत पर हमला करने के बाद अपनी सेना का मजबूत बनाने में लगा हुआ है, अपनी सेना तथा हथिआरों को आधुनिक रूप दे रहा है, दूसरी ओर हमारी सरकार नितान्त आत्म-तुष्टि में पड़ी है और प्रतिरक्षा उत्पादन की अपेक्षा कर रही है। सरकार के बारे में यह आरोप केवल मेरा ही नहीं है अपितु नेफा तथा लद्दाख में हमारी पराजय के बाद जब राष्ट्रपति महोदय ने सीमान्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया, तो उन्होंने भी यह बताया कि हमारा यह अपमान सरकार की वर्षों से चली आ रही लापरवाही तथा आत्म-तुष्टि के परिणाम स्वरूप हुई है।

हमारे सिपाही जो पक्के बहादुर हैं और दुनियां में कई स्थानों पर लड़े हैं उन्हें सीमान्त प्रदेश में बिना आवश्यक शस्त्रों के चीन को बलि चढ़ाने के लिये भेज दिया गया। नेफा तथा लदाख में हमारी पराजय के पश्चात, सशस्त्र सेनाओं के एक वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल हैंडरसन बुक्स को, संसद की सर्वसम्मत मांग पर समूचे मामले की जांच करने के लिये कहा गया था।

उनके प्रतिवेदन के संशोधित संस्करण को सभा पटल पर रख दिया गया है। सभा द्वारा बार-बार यह मांग किये जाने पर भी कि पूरा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जाये, सरकार ने ऐसा नहीं किया है, अब भी सरकार उस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख सकती है।

सरकार ने 1957 से 1962 तक जो अपराध तथा बड़ी गलतियां की हैं उनका पश्चाताप करने के दृष्टि से सरकार को कम से कम इतना तो करना ही चाहिये था।

सरकार ने आधुनिक युद्ध प्रणाली के लिये अपेक्षित विभिन्न हथियारों के निर्माण के लिये 6 आयुध कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है, उनमें से चार के लिये मंजूरी दी गई है। दो को जिन कारणों से छोड़ दिया गया है उन्हें केवल सरकार ही जानती है अन्य लोग नहीं जानते। और इन चार कारखानों में से एक ही में उत्पादन आरम्भ हुआ है। अन्य तीन कारखानों का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार उसी आत्म-तुष्टि का शिकार बनी हुई है जिसकी शिकार वह 1957-62 में थी और यदि वह सचेत न हुई तो सब जानते हैं कि जनता को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।

सरकार के कार्यों से तथा संसद में प्रश्नों के दिये गये उत्तरों से हमेशा यही देखा गया है कि सरकार संसद को सही सूचना देने में घबराती है, ऐसे अवसर भी आये हैं जब कि सरकार ने जन-हित की दृष्टि से परियोजना आदि की लागत के ब्यौरों को संसद से छिपाया है परन्तु वही ब्यौरे विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुये हैं। सरकार को अपनी जनता पर विश्वास नहीं हैं। यही कारण है कि जनता का भी सरकार में विश्वास नहीं है।

[श्री हरि विष्णु कामत]

प्राय: जब प्रतिरक्षा उत्पादन सम्बन्धी अथवा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर्याप्त समय की पूर्व सूचना दिये जाने पर पूछे जाते हैं तो भी सरकार का उत्तर यही होता है कि जानकारी प्राप्त की जा रही है। किन्तु वह जानकारी कभी दी नहीं जाती है।

प्रतिरक्षा मंत्री से यह आशा की जाती है कि वह शीघ्र ही प्रतिरक्षा उत्पादन का काम तेज कर देंगे और निकट भविष्य में ही हथियारों का निर्माण हो सकेगा और सशस्त्र सेनाओं को हथियारों से लैस किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रतिरक्षा कर्मचारियों ने और आयुध कारखाने के श्रमिकों ने चीनी आक्रमण के समय उत्पादन बढ़ाने के लिये त्याग और बहुत परिश्रम किया था। जिन कारखानों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का सामन बन रहा है उन्होंने सराहनीय काम किया है। उन लोगों की अथवा उनके संगठनो की निन्दा करने का कोई भी प्रयास वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।

1956 में जब यह मामला संसद् में आया था सदस्यों के अतिरिक्त स्वर्गीय श्री जवाहरलालजी ने भी कहा था कि इन कारखानों को केवल युद्ध पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिये। परन्तु यह भी एक तथ्य है कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों ने और आयुध कारखानों के श्रमिकों ने चीनी आक्रमण के समय उत्पादन को बढ़ाने के लिये अन्नयक: प्रयत्न किये थे। जिन कारखानों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का सामान बन रहा है। उन सभी कारखानों ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। मेरे विचार में उन लोगों की निन्दा करने के लिये किया गया कोई भी प्रयास वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त यह भी खेद का विषय है कि जब हमने आयुध कारखानों में बड़ी संख्या में श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया है, और उनमें से कुछ कारखानों में छटनी करने का प्रस्ताव किया गया है। अभी बहुत सा काम बाकी है। इस दिशा में बहुत से आर्डर पूरे किये जाने हैं। इनके अतिरिक्त सरकार ने भी बहुत सा सामान बनाने के लिये बचन दिया हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें अतिरिक्त आयुध कारखाने स्थापित करने ही चाहिए ताकि प्रतिरक्षा उत्पादन के मामले में हम आत्म निर्भर हो सके। परन्तु यदि हम इस तरह करने लगे कि 6 में से 4 कारखाने स्थापित कर दिये और वर्तमान कारखानों का पूर्ण रूप से विस्तार कर लिया, तो मेरे विचार में कोई चिन्ता की बात नहीं रहती। न ही चिन्ता की बात होनी ही चाहिए। यह बात हमें समझ लेनी चाहिये कि हम अपने शस्त्रों के बल पर ही अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। काफी समय तक हम विदेशों की सहायता पर निर्भर नहीं रह सकते।

इसी प्रकार मिग विमानों की बात है। उनके निर्माण के मामले में योजना बहुत ही मन्द गति से चल रही है। स्थिति यह है कि चार नये आयुध कारखाने स्थापित हो जाने से इन कारखानों की कुल संख्या 23 हो जायेगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन कारखानों में समुचित समन्वय बना रहे।

मुझे प्रतिरक्षा मंत्रालय में विश्वास है परन्तु मैं कारखानों में काम करने वाले कार्मचारियों की बात भी करना चाहता हूं। वे आयुध कारखानों में काम करते हैं परन्तु उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता। कर्मचारी लड़ना नहीं चाहते, केवल अपनी उचित मांगों पर ही जोर दे रहे हैं।

Shri Sheo Narain (Bansi) : This resolution has given us the opportunity to discuss our Defence of the Country. We are proud of the fact that the best available man is our Defence Minister. In this Connection I may submit that we should not build Castles in the air. We should discuss the defence matters

with seriousness and restraint. These matters should not be looked from a party angle. In this connection there must be complete unity of thought and action in this direction.

I will also, at the same time say that in such a situation through which we are passing it is not proper to insist on all the information relating to defence preparations being disclosed and discussed. It is very necessary to maintain secrecy in such matters. Our Defence Minister should also ensure that only strong and sturdy people are recruited to our armed forces. In this matter there should be no favouritism. People fit for the job may be recruited.

It is also necessary that more and more people should be recruited from the areas bordering the Himalayas. They are accustomed with the hilly areas. We should also have good roads and other means of communications in these areas. This is very necessary in order to strengthen the defence of our Country. The location of ordnance factories is not an important matter. The thing which is really important and essential is that our defence preparations must go on in a planned and proper manner. We must also be serious about the production of food grains, so that our defence people get their requirements without any difficulty. I am sure that we will be able to meet our enemy effectively.

श्री नारायण दांडेकर (गौंडा) : हम आज के प्रश्न पर राजनीतिक पक्षपातों को समक्ष रख कर विवाद नहीं करना चाहते। यह देश की प्रतिरक्षा के प्रश्न के साथ सम्बन्ध रखने वाला विषय है। यह बात तो अब सर्वत्र स्वीकार की जा चुकी है कि चीनी आक्रमण के समय हमें काफी नीचा देखना पड़ा है। और इस अपमान का कारण यह है कि हमारी सेनायें तैयार नहीं थीं और उनके पास अच्छे और पर्याप्त मात्रा में हथियार इत्यादि नहीं थे। अब समय है कि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके उस कमी को पूरा किया जाय।

एक बात तो स्पष्ट है कि देश में सब प्रकार की योग्यता और क्षमता थी, परन्तु हमारी सरकार सोती रही। हमारे पास स्वचालित राइफलों के निर्माण करने के पूरे साधन थे, परन्तु इस दिशा में कोई पग न उठाया गया। सरकार इस मामले में कोई अपेक्षित निर्णय ही नहीं कर सकी। सीमा सुरक्षा के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं परन्तु उसके बारे में भी कोई निर्णय नहीं किया गया। उस समिति ने सीमा को मजबूत बनाने के सम्बन्ध में अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की भी सिफारिश की थी। फिर इस दिशा में कुछ किया नहीं गया है।

हमें अपनी प्रतिरक्षा की जरूरतों की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारी सीमाओं के ऊपर जितनी अधिक संख्या में चीनी सैनिक गतिविधि हो रही है इस बात का सबूत है कि वह किसी समय भी शक्ति से पूर्ण हो कर हमारी सीमाओं पर आक्रमण करेगा। इस समय वह पूरी तैयारीयां कर रहा है। पूरी संभावना है कि आगामी वसन्त तक वह हमला कर ही दे। इस परिस्थिति में हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि क्या उसने इस प्रकार के खतरे का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त तैयारी कर रखी है। क्या हमारी सरकार ने पूर्णत: प्रशिक्षित पहाड़ी डिवीजन पर्याप्त और अपेक्षित संख्या में बना लिये है। मेरे विचार में तो यह संदेह की बात है कि हमने अपनी सीमा पर तैनात किये हुए डिवीजनों के लिये पर्याप्त सप्लाई और राशन की व्यवस्था कर रखी है। यह बात भी संदेहजनक है कि पर्याप्त संख्या में रक्षित प्रशिक्षण प्राप्त डिवीजन तथा शस्त्रास्त्रों की व्यवस्था कर ली गई है। राष्ट्रीय छात्र सेना तथा इसी प्रकार के अन्य संगठन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, परन्तु उनको पर्याप्त मात्रा में सामान इत्यादि नहीं दिया जाता। उन्हें स्वयंचालित राइफलों तथा मशीनगनों को चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। कितनी विचित्र बात है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[Mr. Speaker in the Chair.]

मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि वह यह बताये कि स्थापित होने वाले प्रस्तावित छः आयुध कारखानों में से दो कारखानों की स्थापना का काम किन कारणों से छोड़ दिया गया है। कारखानों की स्थापना बड़े निराधार कारणों के कारण छोड़ दिये गये हैं। देश की प्रतिरक्षा संबंधी मामलों में पूंजी लगाने और पूंजी विनियोजन से फल निकलने की बातें करना सर्वथा असंगत एवं अनुचित समझी जानी चाहिए। आयुध कारखानों के मामले में विनियोजन उत्पादन का अनुपात निस्संदेह अधिक ही होता है।

मेरा इस दिशा में अनुरोध यह है कि हमारे आयुध कारखानों की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तेजी के साथ काम करना चाहिए। हमने इन कारखानों को शांति काल में स्थापित नहीं किया है। उस समय हमारी बहुतसी क्षमता बेकार पड़ी रही है और हम अपेक्षित मात्रा में उत्पादन न कर सके। मेरे विचार में वास्तविक कठिनाई यह मालूम पड़ती है कि सरकार ब्रिटेन अथवा अमरीका से विदेशी मुद्रा के रूप में सहायता नहीं प्राप्त कर सकी है। सरकार को बताना चाहिए कि क्या हमारी कुछ शर्तें उनको मान्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि यह बात समझ में नहीं आ रही कि ये दो महत्वपूर्ण कारखाने स्थापित करने के लिये 21 करोड़ रुपये की शर्तें के बिना वाली विदेशी मुद्रा क्यों नहीं प्राप्त की जा सकती जबकि हम ऐसी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं जिनमें अभी तक पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो पाया है। हमें सहायता केवल प्रतिरक्षा की दृष्टि से ही प्राप्त करनी चाहिए न कि राजनीतिक आधार पर। हमें प्रतिरक्षा मंत्री के इस वक्तव्य को बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिये कि हमने क्यों दो कारखाने बन्द किये हैं और उन्हें चालू करने के उपाय जुटाने चाहिये।

Shri Onkarlal Berwa (Kotah) : I may submit that our Government have been assuring us that everything is alright. But as a matter of fact nothing has been done in this direction. We fully know that the explosion of an atom bomb by China is a great challenge to us. We must be alert and take it as it is. The necessary defence preparations should be strengthened and geared up to meet that threat. Our preparations are not sufficient enough to meet the challenge.

I would like to refer to the preparations being done by China and Pakistan. Both China and Pakistan had stepped up their military activities on our borders. We must know that both China and Pakistan have stepped up their Military activities on our frontiers. Unless we get up and make adequate preparations, we will not be in a position to face the situation effectively. Therefore we must take the serious note of situation and do the needful in time.

I am of the opinion that we may not use the atom bomb, as it is against our history and policy, but we must manufacture it. It is the only way to dispel the illusions of our enemies. As they have began to think that we have no talent. to fight. We must be vigilant about the activities of the Communists. The Communists and the leftists elements which are creating bad effect in the ordnance factories must be turned out. The strict vigilance on such element is also very necessary in the interests of the defence of the Country.

We must also fully realise that it is very essential that we become a self-sufficient country as far as our defence requirements are concerned. At this stage it is not possible to afford to depend on other countries in this matter. Our

armed forces will have to be fully and thoroughly equipped before we can expect them to fight the enemy in the battle successfully. We must create such an atmosphere in the country that every citizen in the country may be prepared to fight for the integrity and liberty of his or her beloved motherland. For this purpose, we should gather all our resources.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं तो चाहता था कि इन परियोजनाओं में सुधार करके उन्हें आगे बढ़ाया जाता, परन्तु हम कुछ और ही सुन रहे हैं। आयुध कारखानों के बारे में हमें चर्चा इस प्रकार करनी चाहिए कि देश में किसी प्रकार का आतंक न फैले। मेरा मत यह है कि सभा को बताये गये तथ्यों से दो आयुध कारखानों को स्थापित न किये जाने का कोई औचित्य मालूम नहीं होता, परन्तु इस पर भी युद्ध का उन्माद निर्माण करने का कोई लाभ नहीं है। प्रतिरक्षा उत्पादन करने वाले कर्मचारियों को साम्यवाद तथा अन्य बातों के नाम पर बदनाम करना गलत और अनुचित है। यदि हम कर्मचारियों पर अनावश्यक तौर पर दोषारोपण करेंगे तो हम किस प्रकार उत्पादन को बढ़ाने में सफल होंगे।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तिरुचिरापल्लीमें छोटे हथियारों का कारखाना स्थापित करने के कार्य में प्रायः कोई प्रगति नहीं हुई है ; अभी तक थोड़ी सी भूमि ही ली गई है। कारखानों के निर्माण में अधिक समय नहीं लगना चाहिये। परन्तु अभी तक सरकार की ओर कुछ विशेष कार्य इस दिशा में नही किया गया। अच्छा ही है कि सरकार ने इस क्षेत्र को कुछ सुविधाएं प्रदान की है।

तिरुचिरापल्ली में यह कारखाना इस लिये लगाया जा रहा है क्योंकि यह रेल केन्द्र है, यहां काफी मात्रा में श्रमिक उपलब्ध हो सकते हैं और यहां उत्पादन में काफी सहायता मिल सकती है। किसी अन्य क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के यदि राजनैतिक कारण हैं तो मुझे इसका पता नहीं है। मुझे खेद है कि इस कारखाने के निर्माण में बहुत देर हो रही है। मुझे इस समय देश की रक्षा की चिन्ता है। इसलिये प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय को सतर्क रहना चाहिये।

श्रीमती अकम्मा देवी (नीलगिरि) : खाद्य निगम विधेयक पर चर्चा के समय भी बहुत से सदस्यों ने यही कहा था कि क्योंकि खाद्य मंत्री मद्रास के रहने वाले हैं इसलिये इस निगम का मुख्यालय मद्रास में ही स्थापित किया जा रहा है। परन्तु यह बिल्कुल गलत है। इस बारे में किसी स्थान की उपयुक्तता ही देखी जाती है और यह नहीं देखा जाता कि जिस स्थान का कोई मंत्री रहने वाला हो वहां ही कारखाने आदि स्थापित किये जायें। नये आयुध कारखाने स्थापित करने के लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देती हूं। साथ साथ हमें वर्तमान आयुध कारखानों का उत्पादन भी बढ़ाना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो आयुध कारखाना है वहां कारडाईट तैयार होता है। जब चीनी सेनाओं ने भारत पर आक्रमण किया था तो इस कारखाने में रातदिन काम हुआ था और उन दिनों इस कारखाने में अधिकतम उत्पादन हुआ। माननीय मंत्री जब इस कारखाने को देखने गये थे तो उन्होंने श्रमिकों की बहुत प्रशंसा की। इन श्रमिकों को सुविधायें आदि देने के बारे में विचार किया जाना चाहिये। ये श्रमिक भिन्न भिन्न स्थानों से आते हैं। वह एक पहाड़ी इलाका है और वहां बहुत ठंड पड़ती है। वहां पर मकान आदि का संतोषजनक प्रबन्ध नहीं है। पांच हज़ार श्रमिकों में से केवल एक चौथाई को ही यह सुविधा दी गई है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे वर्तमान आयुध कारखानों का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण होना चाहिये ताकि उनमें उत्पादन बढ़ाया जा सके। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आयुध कारखानों के बारे में किसी भी दल द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। यह विषय सत्तारूढ़ दल, साम्यवादी दल या स्वतन्त्रता पार्टी का विषय नहीं है बल्कि इस से सारे देश का सम्बन्ध है। इन कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में असमानता नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य का समर्थन करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अग्रेतर चर्चा अब कल होगी।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं निम्न लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर **खाद्य** यथा **कृषि** मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा, लिमिटेड कम्पनी बनाने की कार्यवाही के विरोध में, की गई हड़ताल का समान्तार।"

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : हाल ही में दिल्ली दुग्ध योजना की कार्यप्रणाली की जांच करने वाले विशेषज्ञों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप सरकार के सम्मुख दिल्ली दुग्ध योजना को, जो कि अब तक केन्द्रीय सरकार के एक विभाग के रूप में चालू थी, कम्पनी विधेयक के अन्तर्गत एक कम्पनी में परिणित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों के संघ के प्रतिनिधियों ने दिल्ली दुग्ध योजना को एक लिमिटेड कम्पनी में परिणित करने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये 15 दिसम्बर, 1964 को 7.45 सायं खाद्य और कृषि मन्त्री से भेंट की।

उन्होंने विशेषकर यह मांग की कि उनके मौजूदा अधिकार तथा विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखा जाये। खाद्य और कृषि मन्त्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके अधिकार तथा विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किये जायेंगे परन्तु मन्त्री जी ने यह मानने से इंकार कर दिया कि दिल्ली दुग्ध योजना को कम्पनी विधेयक के अन्तर्गत लिमिटेड कम्पनी में परिणित न किया जाये।

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों ने 15 दिसम्बर, 1964 की आधी रात से हड़ताल शुरू कर दी। दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष तथा श्री के० एन० पान्डे, संसद्-सदस्य, जोकी इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, के प्रयासों के फलस्वरूप हड़ताल समाप्त कर दी गई। कल खाद्य और कृषि मन्त्री सदन को इस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे; वे आज दौरे पर हैं। मैं प्रार्थना करता हुं कि इस नोटिस को कल तक स्थगित कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब इस पर आगे चर्चा कल करेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा गरुवार, 17 दिसम्बर, 1964/26 अग्रहायण, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 17, 1964/Agrahayana 26, 1886 (Saka)

भा०स०मु०ना०—वि०१—११ लोक सभा/६५—२०-७-६५—६००.